<u>न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/त्वरित प्रथम, बाँदा</u>

आज दिनांक 20.08.2025 पत्रावली मा0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदा के आदेश दिनांकित 11.08.2025 के अनुपालन में ग्राम न्यायालय नरैनी स्थानांतरित की जाती है।

सिविल जज(जू0डि0)/त्वरित प्रथम,
बादां।

<u>न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/त्वरित प्रथम, बाँदा</u>

आज दिनांक 20.08.2025 पत्रावली मा0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदा के आदेश दिनांकित 11.08.2025 के अनुपालन में ग्राम न्यायालय नरैनी स्थानांतरित की जाती है।

(पवन सिंह तोमर)

सिविल जज(जू0डि0)/त्वरित प्रथम,
बादां।
जे0ओ0 कोड़–यू.पी. 4666

<u>न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/त्वरित प्रथम, बाँदा</u>

वाद सं0—1496/नौ/2025

सरकार बनाम गोपीशरण
मु0अ0सं0—32/1985
धारा—419,420,468 भा0दं0सं0
थाना—नरैनी, जिला बांदा।

<u>30.10.2025</u>

पत्रावली पेश हुई। सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में गोपीशरण आरोपित अभियुक्त है। अभियुक्त गोपीशरण द्विवेदी पुत्र सुखदेव प्रसाद द्विवेदी मुहल्ला कटरा बार्ड नं0—15 पन्ना म0प्र0 का निवासी है। अभियुक्त गोपीशरण के विरूद्व एन.बी. डबलू प्रासेस जारी किये गये थे। उक्त प्रासेस पर प्राप्त थाना फतेहगंज जिला बांदा की आख्यानुसार अभियुक्त गोपीशरण की मृत्यु दिनांक 12.10.2011 को होना कहा गया है तथा अभियुक्त का मृत्यु प्रमाण पत्र भी आख्या के साथ संलग्न है जिससे भी स्पष्ट होता है कि अभियुक्त गोपीशरण द्विवेदी पुत्र सुखदेव प्रसाद द्विवेदी मुहल्ला कटरा बार्ड नं0—15 पन्ना म0प्र0 की मृत्यु दिनांक 12.10.2011 को हो गयी है। उपरोक्त साक्ष्यों से अभियुक्त गोपीशरण की मृत्यु होने की पुष्टि होती है।

आदेश

अतः दौरान मुकदमा अभियुक्त गोपीशरण की मृत्यु हो जाने के कारण उनके विरूद्व मामले की कार्यवाही उपशमित की जाती है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

सिविल जज(जू0डि0)/त्वरित प्रथम, बादां।

<u>न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/त्वरित प्रथम, बाँदा</u>

वाद सं0—1153/नौ/2025

सरकार बनाम केशव प्रसाद
मु0अ0सं0—210/1996
धारा—406 भा0दं0सं0
थाना—नरैनी, जिला बांदा।

<u>18.09.2025</u>

पत्रावली पेश हुई। सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में केशव प्रसाद आरोपित अभियुक्त हैं। अभियुक्त केशव प्रसाद पुत्र कामता प्रसाद निवासी नहरी थाना नरैनी, जिला बांदा का निवासी है। थाने नरैनी जिला बांदा की मृत्यु आख्यानुसार अभियुक्त केशव प्रसाद की मृत्यु करीब दस वर्ष पहले होना बताया गया है। उसके उपरांत मृत्यु रिपोर्ट की तस्दीक करने वाले साक्षी मुकेश वर्मा को तलब किया गया जिनके बयान सी0डब्लू01 26.11.2024 को अंकित किया गया। जिसने अभियुक्त केशव प्रसाद की मृत्यु होने की पुष्टि की है।

आदेश

अतः दौरान मुकदमा अभियुक्त केशव प्रसाद की मृत्यु हो जाने के कारण उनके विरूद्व मामले की कार्यवाही उपशमित की जाती है। अपराध सं0—210/1996 में अभियुक्त भगवानदास की पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत की जाती है।

सिविल जज(जू0डि0)/त्वरित प्रथम, बादां।

न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/त्वरित प्रथम, बाँदा

सरकार बनाम भोला प्रसाद श्रीवास
धारा–60 आबकारी एक्ट
थाना–नरैनी, जिला बांदा।

04.09.2025

पत्रावली पेश हुई। सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में भोला प्रसाद श्रीवास आरोपित अभियुक्त हैं। पत्रावली हाजिरी के स्तर पर लंबित थी। वारण्ट तामीला आख्या से अभियुक्त भोला प्रसाद श्रीवास की मृत्यु करीब तीन वर्ष पहले होना बताया गया है। जिनके अनुसार अभियुक्त भोला प्रसाद श्रीवास, की मृत्यु हो चुकी है। आरोप पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि मामले में अन्य कोई अभियुक्त नहीं है।

आदेश

अतः दौरान मुकदमा अभियुक्त भोला प्रसाद श्रीवास की मृत्यु हो जाने के कारण उनके विरूद्व मामले की कार्यवाही उपशमित की जाती है। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाये।

सिविल जज(जू0डि0)/त्वरित प्रथम, बादां।

न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/त्वरित प्रथम, बाँदा

सरकार बनाम सुरेश
धारा–503 बी0एन0एस0
थाना–नरैनी, जिला बांदा।

04.06.2025

प्रार्थिया सुरेश पुत्र रामशरण, थाना नरैनी जिला बांदा उ0प्र0 की ओर से थाना नरैनी जिला बांदा में निरूद्ध प्रश्नगत हारमोटरसाइकिल पंजीयन संख्या–UP 90 M 9464 को अपने हक में अवमुक्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थी हारसं0 UP 90 M 9464 को पुलिस ने दिनांक 15.12.2024 को खड़ा कर लिया था जबकिप्रार्थी के हारसे कोई घटना कारित नहीं हुई है। प्रार्थी थाना नरैनी गया तो पुलिस ने कहा कि उक्त मोटरसाइकिल 318/2024 में दर्ज है।प्रार्थी का हारकरीब 2 महीने से खुले आसमान में खड़ा है और उसके कलपुर्जे खराब हो रहे हैं। प्रार्थना है कि हारसंख्या सं0 UP 90 M 9464 मोटरसाइकिल को प्रार्थी के हक में रिलीज किये जाने का थानाध्यक्ष नरैनी को आदेशित करनें की कृपा करें।

सुना एवं संबंधित उपलब्ध प्रपत्रों व थाने की आख्या का अवलोकन किया। थाना नरैनी की आख्या के अनुसार उक्त मोटरसाइकिल नंबर UP 90 M 9464 थाना नरैनी पर खड़ी है।

प्रार्थी की ओर से प्रश्नगत हारका पंजीयन प्रमाणपत्र की छाया प्रति मय असल के दाखिल की गयी हैं, जो वैध हैं, जिसके अनुसार प्रार्थी प्रश्नगत हारउपरोक्त का पंजीकृत स्वामी है तथा सुरेश के द्वारा शपथ पत्र मूल्यावन 50,000/–गाड़ी की मालियत के बावत प्रस्तुत है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत वाहन, हारस्वामी के हक में अवमुक्त किए जाने हेतु पर्याप्त आधार है।

आदेश

आवेदक सुरेश द्वारा प्रस्तुत आवेदन वास्ते रिलीज किए जाने मोटरसाइकिल वाहन, हारपंजीयन संख्या– UP 90 M 9464 इस आशय की अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर स्वीकृत किया जाता है कि :–

1. आवेदक द्वारा प्रश्नगत हारके भौतिक स्वरूप तथा रंगरूप में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा तथा न ही उसे किसी को किसी भी रूप में अंतरित/विक्रय किया जायेगा।

2. प्रश्नगत हारको न्यायालय द्वारा तलब किए जाने पर आवेदक के द्वारा उसे पेश किया जायेगा।

3. आवेदक द्वारा प्रश्नगत हारके मूल रजिस्ट्रेशन का **सत्यापन** संबंधित कर/पंजीयन अधिकारी मोटर हारविभाग जनपद बांदा से कराने के उपरांत ही उक्त हारको आवेदक के पक्ष में अवमुक्त किया जायेगा।

4. आवेदिका द्वारा मुबलिग 50,000/–रूपये (पचास हजार रूपये) का एक बन्धपत्र एवं समान धनराशि का एक प्रतिभू दाखिल किए जाने पर प्रश्नगत मोटरसाइकिल हारपंजीयन संख्या– UP 90 M 9464 को उसके पंजीकृत स्वामी/आवेदक के पक्ष में अवमुक्त किया जाता है।

5. आवेदक प्रश्नगत हारसे संबंधित प्रपत्रों की तीन–तीन प्रतियां दाखिल करेगा।

सम्बन्धित थानाध्यक्ष को आदेशित किया जाता है कि उक्त हारअन्य किसी मामले में निरूद्ध न हो तो उसे आवेदक के पक्ष में अवमुक्त किया जाये। अवमुक्त करने से पूर्व आवेदक के खर्चे पर विभिन्न कोणों से फोटो खींचकर उक्त फोटोग्राफ एक सप्ताह के अन्दर न्यायालय में दाखिल करें।

आदेश की एक प्रति अनुपालनार्थ सम्बन्धित थानाध्यक्ष को प्रेषित किया जावे।

सिविल जज(जू0डि0)/त्वरित प्रथम, बादां।

न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/त्वरित प्रथम, बाँदा

सरकार बनाम मो0 साजिद आदि
धारा–303(2),317(4) बी0एन0एस0
थाना–नरैनी, जिला बांदा।

04.06.2025

प्रार्थिया शकुन्तला सोनकर पत्नी सुखदेव सोनकर, थाना नरैनी जिला बांदा उ0प्र0 की ओर से थाना नरैनी जिला बांदा में निरूद्ध प्रश्नगत हार सोने का को अपने हक में अवमुक्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि दिनांक 27.04.2025 कोप्रार्थी का चोरी हो गया था जिसको नरैनी पुलिस द्वारा अभियुक्तो से बरामद कर लिया गया है।प्रार्थी अपने के संबधं में जमानते/बंधपत्र देने को तैयार है। प्रार्थना है कि सोने का कोप्रार्थी के हक में रिलीज किये जाने का थानाध्यक्ष नरैनी को आदेशित करनें की कृपा करें।

सुना एवं संबंधित उपलब्ध प्रपत्रों व थाने की आख्या का अवलोकन किया। थाना नरैनी की आख्या के अनुसार उक्त सोने का थाना नरैनी पर है।

प्रार्थी की ओर से प्रश्नगत की क्रय रसीद प्रमाणपत्र की छाया प्रति मय असल के दाखिल की गयी हैं, जो वैध हैं, जिसके अनुसारप्रार्थी प्रश्नगत उपरोक्त की स्वामी है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत , स्वामी के हक में अवमुक्त किए जाने हेतु पर्याप्त आधार है।

आदेश

आवेदिका शकुन्तला सोनकर द्वारा प्रस्तुत आवेदन वास्ते रिलीज किए जाने इस आशय की अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर स्वीकृत किया जाता है कि :–

1. आवेदक द्वारा प्रश्नगत के भौतिक स्वरूप तथा रंगरूप में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा तथा न ही उसे किसी को किसी भी रूप में अंतरित/विक्रय किया जायेगा।

2. प्रश्नगत को न्यायालय द्वारा तलब किए जाने पर आवेदक के द्वारा उसे पेश किया जायेगा।

3. आवेदक द्वारा प्रश्नगत के मूल क्रय रसीद का **सत्यापन** संबंधित अधिकारी से कराने के उपरांत ही उक्त हारको आवेदक के पक्ष में अवमुक्त किया जायेगा।

4. आवेदिका द्वारा मुबलिग 1,10,000/–रूपये (एक लाख दस हजार रूपये) का एक बन्धपत्र एवं समान धनराशि का एक प्रतिभू दाखिल किए जाने पर प्रश्नगत हारको उसके स्वामी/आवेदक के पक्ष में अवमुक्त किया जाता है।

5. आवेदक प्रश्नगत हारसे संबंधित प्रपत्रों की तीन–तीन प्रतियां दाखिल करेगा।

सम्बन्धित थानाध्यक्ष को आदेशित किया जाता है कि उक्त हारअन्य किसी मामले में निरूद्ध न हो तो उसे आवेदक के पक्ष में अवमुक्त किया जाये। अवमुक्त करने से पूर्व आवेदक के खर्चे पर विभिन्न कोणों से फोटो खींचकर उक्त फोटोग्राफ एक सप्ताह के अन्दर न्यायालय में दाखिल करें।

आदेश की एक प्रति अनुपालनार्थ सम्बन्धित थानाध्यक्ष को प्रेषित किया जावे।

सिविल जज(जू0डि0)/त्वरित प्रथम, बादां।

न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/त्वरित प्रथम, बाँदा

सरकार बनाम राजन उर्फ गिनेन्द्र राजपूत
धारा–305,317(2) बी0एन0एस0
थाना–नरैनी, जिला बांदा।

04.06.2025

प्रार्थिया कैलाश पुत्र सियाराम, थाना नरैनी जिला बांदा उ0प्र0 की ओर से थाना नरैनी जिला बांदा में निरूद्ध प्रश्नगत हारमोटरसाइकिल स्पलेण्डर प्लस पंजीयन संख्या–UP 90 F 5616 को अपने हक में अवमुक्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है किप्रार्थी की मोटरसाइकिल राजकुमार इण्टर कालेज नरैनी चोरी हो गयी थी जिसको दिनांक 19.05.2025 को अभियुक्त राजन उर्फ गिनेन्द्र राजपूत पुत्र राजाराम के पास से बरामद कर लिया गया जो थाना नरैनी में खड़ी है। प्रार्थना है कि हारसंख्या सं0 UP 90 F 5616 मोटरसाइकिल को प्रार्थी के हक में रिलीज किये जाने का थानाध्यक्ष नरैनी को आदेशित करनें की कृपा करें।

सुना एवं संबंधित उपलब्ध प्रपत्रों व थाने की आख्या का अवलोकन किया। थाना नरैनी की आख्या के अनुसार उक्त मोटरसाइकिल नंबर UP 90 F 5616 थाना नरैनी पर खड़ी है।

प्रार्थी की ओर से प्रश्नगत हारका पंजीयन प्रमाणपत्र की छाया प्रति मय असल के दाखिल की गयी हैं, जो वैध हैं, जिसके अनुसारप्रार्थी प्रश्नगत हारउपरोक्त का पंजीकृत स्वामी है तथा हारका बीमा भी दाखिल कियागया है जो वैध है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत वाहन, हारस्वामी के हक में अवमुक्त किए जाने हेतु पर्याप्त आधार है।

आदेश

आवेदक कैलाश पुत्र सियाराम द्वारा प्रस्तुत आवेदन वास्ते रिलीज किए जाने मोटरसाइकिल वाहन, हारपंजीयन संख्या–UP 90 F 5616 इस आशय की अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर स्वीकृत किया जाता है कि :–

1. आवेदक द्वारा प्रश्नगत हारके भौतिक स्वरूप तथा रंगरूप में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा तथा न ही उसे किसी को किसी भी रूप में अंतरित/विक्रय किया जायेगा।

2. प्रश्नगत हारको न्यायालय द्वारा तलब किए जाने पर आवेदक के द्वारा उसे पेश किया जायेगा।

3. आवेदक द्वारा प्रश्नगत हारके मूल रजिस्ट्रेशन का **सत्यापन** संबंधित कर/पंजीयन अधिकारी मोटर हारविभाग जनपद बांदा से कराने के उपरांत ही उक्त हारको आवेदक के पक्ष में अवमुक्त किया जायेगा।

4. आवेदिका द्वारा मुबलिग 50,000/—रूपये (पचास हजार रूपये) का एक बन्धपत्र एवं समान धनराशि का एक प्रतिभू दाखिल किए जाने पर प्रश्नगत मोटरसाइकिल हारपंजीयन संख्या— UP 90 F 5616 को उसके पंजीकृत स्वामी/आवेदक के पक्ष में अवमुक्त किया जाता है।

5. आवेदक प्रश्नगत हारसे संबंधित प्रपत्रों की तीन—तीन प्रतियां दाखिल करेगा।

सम्बन्धित थानाध्यक्ष को आदेशित किया जाता है कि उक्त हारअन्य किसी मामले में निरूद्ध न हो तो उसे आवेदक के पक्ष में अवमुक्त किया जाये। अवमुक्त करने से पूर्व आवेदक के खर्चे पर विभिन्न कोणों से फोटो खींचकर उक्त फोटोग्राफ एक सप्ताह के अन्दर न्यायालय में दाखिल करें।

आदेश की एक प्रति अनुपालनार्थ सम्बन्धित थानाध्यक्ष को प्रेषित किया जावे।

सिविल जज(जू0डि0)/त्वरित प्रथम, बादां।

न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/त्वरित प्रथम, बाँदा

सरकार बनाम सुरेश
धारा–503 बी0एन0एस0
थाना–नरैनी, जिला बांदा।

03.06.2025

प्रार्थिया सुरेश पुत्र रामशरण, थाना नरैनी जिला बांदा उ0प्र0 की ओर से थाना नरैनी जिला बांदा में निरूद्ध प्रश्नगत हारमोटरसाइकिल पंजीयन संख्या–UP 90 M 9464 को अपने हक में अवमुक्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थी हारसं0 UP 90 M 9464 को पुलिस ने दिनांक 15.12.2024 को खड़ा कर लिया था जबकिप्रार्थी के हारसे कोई घटना कारित नहीं हुई है।प्रार्थी थाना नरैनी गया तो पुलिस ने कहा कि उक्त मोटरसाइकिल 318/2024 में दर्ज है।प्रार्थी का हारकरीब 2 महीने से खुले आसमान में खड़ा है और उसके कलपुर्जे खराब हो रहे हैं। प्रार्थना है कि हारसंख्या सं0 UP 90 M 9464 मोटरसाइकिल को प्रार्थी के हक में रिलीज किये जाने का थानाध्यक्ष नरैनी को आदेशित करनें की कृपा करें।

सुना एवं संबंधित उपलब्ध प्रपत्रों व थाने की आख्या का अवलोकन किया। थाना नरैनी की आख्या के अनुसार उक्त कार नंबर UP 90 M 9464 थाना नरैनी पर खड़ी है।

प्रार्थी की ओर से प्रश्नगत हारका पंजीयन प्रमाणपत्र की छाया प्रति मय असल के दाखिल की गयी हैं, जो वैध हैं, जिसके अनुसारप्रार्थी प्रश्नगत हारउपरोक्त का पंजीकृत स्वामी है तथा हारका बीमा भी दाखिल कियागया है जो वैध है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत वाहन, हारस्वामी के हक में अवमुक्त किए जाने हेतु पर्याप्त आधार है।

आदेश

आवेदक सुरेश द्वारा प्रस्तुत आवेदन वास्ते रिलीज किए जाने कार हारहारपंजीयन संख्या– UP 90 M 9464 इस आशय की अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर स्वीकृत किया जाता है कि :–

1. आवेदक द्वारा प्रश्नगत हारके भौतिक स्वरूप तथा रंगरूप में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा तथा न ही उसे किसी को किसी भी रूप में अंतरित/विक्रय किया जायेगा।

2. प्रश्नगत हारको न्यायालय द्वारा तलब किए जाने पर आवेदक के द्वारा उसे पेश किया जायेगा।

3. आवेदक द्वारा प्रश्नगत हारके मूल रजिस्ट्रेशन का **सत्यापन** संबंधित कर/पंजीयन अधिकारी मोटर हारविभाग जनपद बांदा से कराने के उपरांत ही उक्त हारको आवेदक के पक्ष में अवमुक्त किया जायेगा।

4. आवेदिका द्वारा मुबलिग 50,000/—रूपये (पचास हजार रूपये) का एक बन्धपत्र एवं समान धनराशि का एक प्रतिभू दाखिल किए जाने पर प्रश्नगत कार हारपंजीयन संख्या— UP 90 M 9464 को उसके पंजीकृत स्वामी/आवेदक के पक्ष में अवमुक्त किया जाता है।

5. आवेदक प्रश्नगत हारसे संबंधित प्रपत्रों की तीन—तीन प्रतियां दाखिल करेगा।

सम्बन्धित थानाध्यक्ष को आदेशित किया जाता है कि उक्त हारअन्य किसी मामले में निरूद्ध न हो तो उसे आवेदक के पक्ष में अवमुक्त किया जाये। अवमुक्त करने से पूर्व आवेदक के खर्चे पर विभिन्न कोणों से फोटो खींचकर उक्त फोटोग्राफ एक सप्ताह के अन्दर न्यायालय में दाखिल करें।

आदेश की एक प्रति अनुपालनार्थ सम्बन्धित थानाध्यक्ष को प्रेषित किया जावे।

सिविल जज(जू0डि0)/त्वरित प्रथम, बादां।

न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/त्वरित प्रथम, बाँदा

सरकार बनाम हारसं0–UP 90 AD 6137
धारा–503 बी0एन0एस0एस0
थाना–नरैनी, जिला बांदा।

16.05.2025

प्रार्थिया राजेन्द्र पुत्र बालकृष्ण निवासी गंगा पुरवा अंश गढ़ा थाना नरैनी जिला बांदा उ0प्र0 की ओर से थाना नरैनी जिला बांदा में निरूद्ध प्रश्नगत हारकार पंजीयन संख्या–UP 90 AD 6137 को अपने हक में अवमुक्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि प्रार्थी हारसं0 UP 90 AD 6137 (कार) का वैध स्वामी है। प्रार्थी के हारको थाना–नरैनी पुलिस घर से लेकर दिनांक 20.03.2025 को थाना लाकर परिसर में खड़ी कर लिया है और प्रार्थी कौं उपरोक्त प्रकरण में हारके पूर्व मे चालान कर दिया था। प्रार्थी जेल में है। प्रार्थी के हारउक्त घटना में प्रयुक्त किया जाना पुलिस द्वारा कहा गया है। प्रार्थी के हारको पुलिस स्टेशन में लम्बे समय तक रखे जाने से उसकी उपयोगिता और मूल्य में ह्रास होता है और अपूर्णनीय क्षति हो रही है। बाहर थाने में खड़े रहने से उसके कलपुर्जे व यांत्रिक खराबी होने की प्रबल सम्भावना है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के हारको शर्तो के अधीन प्रार्थी के हक में मुक्त किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी के हारके सभी कागजात रजिस्ट्रेशन, बीमा, डी०एल० वैध व प्रभावी हैं। प्रार्थी हारको मा० न्यायालय के आदेशानुसार समन किये जाने पर प्रस्तुत करेगा। दौरान जांच या विचारण हारका रूप रंग परिवर्तित नहीं करेगा और न ही व्ययन करेगा। उपरोक्त कन्डीशन के आधार पर निरूद्ध हारप्रार्थी के हक में मुक्त किया जाना न्यायोचित है। अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि हारसंख्या सं0 UP 90 AD 6137 (कार) को जो थाना–नरैनी परिसर मे खड़ी है, प्रार्थी के हक में रिलीज किये जाने का थानाध्यक्ष नरैनी को आदेशित करनें की कृपा करें।

सुना एवं संबंधित उपलब्ध प्रपत्रों व थाने की आख्या का अवलोकन किया। थाना नरैनी की आख्या के अनुसार उक्त कार नंबर UP 90 AD 6137 उपनिरीक्षक द्वारा दिनांक 20.03.2025 को थाना हाजा पर खड़ी की है।

प्रार्थी की ओर से प्रश्नगत हारका पंजीयन प्रमाणपत्र की छाया प्रति मय असल के दाखिल की गयी हैं, जो वैध हैं, जिसके अनुसारप्रार्थी प्रश्नगत हारउपरोक्त का पंजीकृत स्वामी है तथा हारका बीमा भी दाखिल कियागया है जो वैध है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत वाहनप्रार्थी@iathdृत स्वामी के हक में अवमुक्त किए जाने हेतु पर्याप्त आधार है।

आदेश

आवेदक राजेन्द्र पुत्र बालकृष्ण द्वारा प्रस्तुत आवेदन वास्ते रिलीज किए जाने कार हारहारपंजीयन संख्या–UP 90 AD 6137 इस आशय की अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर स्वीकृत किया जाता है कि :–

1. आवेदक द्वारा प्रश्नगत हारके भौतिक स्वरूप तथा रंगरूप में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा तथा न ही उसे किसी को किसी भी रूप में अंतरित/विक्रय किया जायेगा।

2. प्रश्नगत हारको न्यायालय द्वारा तलब किए जाने पर आवेदक के द्वारा उसे पेश किया जायेगा।

3. आवेदक द्वारा प्रश्नगत हारके मूल रजिस्ट्रेशन का **सत्यापन** संबंधित कर/पंजीयन अधिकारी मोटर हारविभाग जनपद बांदा से कराने के उपरांत ही उक्त हारको आवेदक के पक्ष में अवमुक्त किया जायेगा।

4. आवेदिका द्वारा मुबलिग 5,35,000/–रूपये (पांच लाख पैंतीस हजार रूपये) का एक बन्धपत्र एवं समान धनराशि का एक प्रतिभू दाखिल किए जाने पर प्रश्नगत कार हारपंजीयन संख्या–UP 90 AD 6137 को उसके पंजीकृत स्वामी/आवेदक के पक्ष में अवमुक्त किया जाता है।

5. आवेदक प्रश्नगत हारसे संबंधित प्रपत्रों की तीन–तीन प्रतियां दाखिल करेगा।

सम्बन्धित थानाध्यक्ष को आदेशित किया जाता है कि उक्त हारअन्य किसी मामले में निरूद्ध न हो तो उसे आवेदक के पक्ष में अवमुक्त किया जाये। अवमुक्त करने से पूर्व आवेदक के खर्चे पर विभिन्न कोणों से फोटो खींचकर उक्त फोटोग्राफ एक सप्ताह के अन्दर न्यायालय में दाखिल करें।

आदेश की एक प्रति अनुपालनार्थ सम्बन्धित थानाध्यक्ष को प्रेषित किया जावे।

प्रभारी सिविल जज(जू0डि0)/त्वरित प्रथम, बादां।

न्यायालय— प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदा

प्रकीर्ण वाद संख्या—1823 / 2023

सरकार बनाम समशूल हसन
धारा—एम0वी0एक्ट
थाना—चिल्ला, जिला बांदा

23.05.2023

प्रार्थिया समशूल हसन की ओर से धारा—एम.वी.एक्ट के तहत थाना चिल्ला जनपद बांदा में निरूद्ध हारपंजीयन सं0—यू0पी0 36टी0 / 2299 को अपने हक में अवमुक्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि वह प्रश्नगत हारका पंजीकृत स्वामी है और उसके हारके सभी कागजात वैध हैं। उसके हारको पुलिस ने गैर कानूनी ढंग से सीज कर दिया है। निरूद्ध रहने से उसके खराब होने की आशंका है। याचना की है कि प्रश्नगत हारउसके हक में अवमुक्त कर दिया जाय।

सुना एवं संबंधित उपलब्ध प्रपत्रों व थाने की आख्या का अवलोकन किया। चूंकि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल करके जुर्माना अदा कर दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त मामले का निस्तारण हो चुका है।प्रार्थी की ओर से प्रश्नगत हारका पंजीयन प्रमाणपत्र की छाया प्रति मय असल के दाखिल की गयी हैं, जो वैध हैं, जिसके अनुसारप्रार्थी प्रश्नगत हारउपरोक्त का पंजीकृत स्वामी है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत वाहनप्रार्थी / पंजीकृत स्वामी के हक में अवमुक्त किए जाने हेतु पर्याप्त आधार है।

आदेश

आवेदनप्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अतः संबंधित थानाध्यक्ष को आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत हारसं0—यू0पी0 36टी0 / 2299प्रार्थी / स्वामी के हक में यदि एम0 वी0 एक्ट के अतिरिक्त किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो अवमुक्त कर दिया जाय।प्रार्थी **द्वारा अगर उपरोक्त प्रकरण में कोई कर व टैक्स देय है तो उसे वसूलने के लिए सम्भागीय परिवहन अधिकारी स्वतंत्र होगे।**

प्रथम ए0सी0जे0एम0,

बांदा

23.05.2023

न्यायालय— प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदा

प्रकीर्ण वाद संख्या—1681/2023

सरकार बनाम मुकेश कुमार सिंह
धारा—एम0वी0एक्ट
थाना—चिल्ला, जिला बांदा

23.05.2023

प्रार्थिया मुकेश कुमार सिंह की ओर से धारा—एम.वी.एक्ट के तहत थाना चिल्ला जनपद बांदा में निरूद्ध हारपंजीयन सं0—यू0पी0 71टी0/8233 को अपने हक में अवमुक्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि वह प्रश्नगत हारका पंजीकृत स्वामी है और उसके हारके सभी कागजात वैध हैं। उसके हारको पुलिस ने गैर कानूनी ढंग से सीज कर दिया है। निरूद्ध रहने से उसके खराब होने की आशंका है। याचना की है कि प्रश्नगत हारउसके हक में अवमुक्त कर दिया जाय।

सुना एवं संबंधित उपलब्ध प्रपत्रों व थाने की आख्या का अवलोकन किया। चूंकि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल करके जुर्माना अदा कर दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त मामले का निस्तारण हो चुका है।प्रार्थी की ओर से प्रश्नगत हारका पंजीयन प्रमाणपत्र की छाया प्रति मय असल के दाखिल की गयी हैं, जो वैध हैं, जिसके अनुसारप्रार्थी प्रश्नगत हारउपरोक्त का पंजीकृत स्वामी है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत वाहनप्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में अवमुक्त किए जाने हेतु पर्याप्त आधार है।

आदेश

आवेदनप्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अतः संबंधित थानाध्यक्ष को आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत हारसं0—यू0पी0 71टी0/8233प्रार्थी/स्वामी के हक में यदि एम0 वी0 एक्ट के अतिरिक्त किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो अवमुक्त कर दिया जाय।प्रार्थी **द्वारा अगर उपरोक्त प्रकरण में कोई कर व टैक्स देय है तो उसे वसूलने के लिए सम्भागीय परिवहन अधिकारी स्वतंत्र होगे।**

प्रथम ए0सी0जे0एम0,

बांदा

23.05.2023

न्यायालय– प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदा

प्रकीर्ण वाद संख्या–1577/2023

सरकार बनाम सलमान
धारा–एम0वी0एक्ट
थाना–चिल्ला, जिला बांदा

22.05.2023

प्रार्थिया सलमान की ओर से धारा–एम.वी.एक्ट के तहत थाना चिल्ला जनपद बांदा में निरूद्ध हारपंजीयन सं0–यू0पी0 36टी0/3182 को अपने हक में अवमुक्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि वह प्रश्नगत हारका पंजीकृत स्वामी है और उसके हारके सभी कागजात वैध हैं। उसके हारको पुलिस ने गैर कानूनी ढंग से सीज कर दिया है। निरूद्ध रहने से उसके खराब होने की आशंका है। याचना की है कि प्रश्नगत हारउसके हक में अवमुक्त कर दिया जाय।

सुना एवं संबंधित उपलब्ध प्रपत्रों व थाने की आख्या का अवलोकन किया। चूंकि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल करके जुर्माना अदा कर दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त मामले का निस्तारण हो चुका है।प्रार्थी की ओर से प्रश्नगत हारका पंजीयन प्रमाणपत्र की छाया प्रति मय असल के दाखिल की गयी हैं, जो वैध हैं, जिसके अनुसारप्रार्थी प्रश्नगत हारउपरोक्त का पंजीकृत स्वामी है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत वाहनप्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में अवमुक्त किए जाने हेतु पर्याप्त आधार है।

आदेश

आवेदनप्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अतः संबंधित थानाध्यक्ष को आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत हारसं0–यू0पी0 36टी0/3182प्रार्थी/स्वामी के हक में यदि एम0 वी0 एक्ट के अतिरिक्त किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो अवमुक्त कर दिया जाय।प्रार्थी **द्वारा अगर उपरोक्त प्रकरण में कोई कर व टैक्स देय है तो उसे वसूलने के लिए सम्भागीय परिवहन अधिकारी स्वतंत्र होगे।**

प्रथम ए0सी0जे0एम0,

बांदा

22.05.2023

न्यायालय— प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदा

प्रकीर्ण वाद संख्या—1689/2023

सरकार बनाम शैलेन्द्र सिंह
धारा—एम0वी0एक्ट
थाना—गिरवॉ, जिला बांदा

22.05.2023

प्रार्थिया शैलेन्द्र सिंह की ओर से धारा—एम.वी.एक्ट के तहत थाना गिरवॉ जनपद बांदा में निरूद्ध हारपंजीयन सं0—यू0पी0 71टी0/6899 को अपने हक में अवमुक्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि वह प्रश्नगत हारका पंजीकृत स्वामी है और उसके हारके सभी कागजात वैध हैं। उसके हारको पुलिस ने गैर कानूनी ढंग से सीज कर दिया है। निरूद्ध रहने से उसके खराब होने की आशंका है। याचना की है कि प्रश्नगत हारउसके हक में अवमुक्त कर दिया जाय।

सुना एवं संबंधित उपलब्ध प्रपत्रों व थाने की आख्या का अवलोकन किया। चूंकि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल करके जुर्माना अदा कर दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त मामले का निस्तारण हो चुका है।प्रार्थी की ओर से प्रश्नगत हारका पंजीयन प्रमाणपत्र की छाया प्रति मय असल के दाखिल की गयी हैं, जो वैध हैं, जिसके अनुसारप्रार्थी प्रश्नगत हारउपरोक्त का पंजीकृत स्वामी है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत वाहनप्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में अवमुक्त किए जाने हेतु पर्याप्त आधार है।

आदेश

आवेदनप्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अतः संबंधित थानाध्यक्ष को आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत हारसं0—यू0पी0 71टी0/6899प्रार्थी/स्वामी के हक में यदि एम0 वी0 एक्ट के अतिरिक्त किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो अवमुक्त कर दिया जाय।प्रार्थी **द्वारा अगर उपरोक्त प्रकरण में कोई कर व टैक्स देय है तो उसे वसूलने के लिए सम्भागीय परिवहन अधिकारी स्वतंत्र होगे।**

प्रथम ए0सी0जे0एम0,

बांदा

22.05.2023

न्यायालय— प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदा

प्रकीर्ण वाद संख्या—1561/2023

सरकार बनाम विशुनदत्त
धारा—एम0वी0एक्ट
थाना—कोतवाली नगर बांदा, जिला बांदा

23.05.2023

प्रार्थिया विशुनदत्त की ओर से धारा—एम.वी.एक्ट के तहत थाना कोतवाली नगर बांदा जनपद बांदा में निरूद्ध हारपंजीयन सं0—यू0पी0 71टी./ 0626 को अपने हक में अवमुक्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि वह प्रश्नगत हारका पंजीकृत स्वामी है और उसके हारके सभी कागजात वैध हैं। उसके हारको पुलिस ने गैर कानूनी ढंग से सीज कर दिया है। निरूद्ध रहने से उसके खराब होने की आशंका है। याचना की है कि प्रश्नगत हारउसके हक में अवमुक्त कर दिया जाय।

सुना एवं संबंधित उपलब्ध प्रपत्रों व थाने की आख्या का अवलोकन किया। चूंकि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल करके जुर्माना अदा कर दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त मामले का निस्तारण हो चुका है।प्रार्थी की ओर से प्रश्नगत हारका पंजीयन प्रमाणपत्र की छाया प्रति मय असल के दाखिल की गयी हैं, जो वैध हैं, जिसके अनुसारप्रार्थी प्रश्नगत हारउपरोक्त का पंजीकृत स्वामी है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत वाहनप्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में अवमुक्त किए जाने हेतु पर्याप्त आधार है।

आदेश

आवेदनप्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अतः संबंधित थानाध्यक्ष को आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत हारसं0—यू0पी0 71टी0/0626प्रार्थी/स्वामी के हक में यदि एम0 वी0 एक्ट के अतिरिक्त किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो अवमुक्त कर दिया जाय।प्रार्थी **द्वारा अगर उपरोक्त प्रकरण में कोई कर व टैक्स देय है तो उसे वसूलने के लिए सम्भागीय परिवहन अधिकारी स्वतंत्र होगे।**

प्रथम ए0सी0जे0एम0,
बांदा
23.05.2023

न्यायालय— प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदा

प्रकीर्ण वाद संख्या—1936/2023

सरकार बनाम सुरेश कश्यप
धारा—एम0वी0एक्ट
थाना—कोतवाली नगर बांदा, जिला बांदा

22.05.2023

प्रार्थिया सुरेश कश्यप की ओर से धारा—एम.वी.एक्ट के तहत थाना कोतवाली नगर बांदा जनपद बांदा में निरूद्ध हारपंजीयन सं0—यू0पी0 90टी0/7691 को अपने हक में अवमुक्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि वह प्रश्नगत हारका पंजीकृत स्वामी है और उसके हारके सभी कागजात वैध हैं। उसके हारको पुलिस ने गैर कानूनी ढंग से सीज कर दिया है। निरूद्ध रहने से उसके खराब होने की आशंका है। याचना की है कि प्रश्नगत हारउसके हक में अवमुक्त कर दिया जाय।

सुना एवं संबंधित उपलब्ध प्रपत्रों व थाने की आख्या का अवलोकन किया। चूंकि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल करके जुर्माना अदा कर दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त मामले का निस्तारण हो चुका है।प्रार्थी की ओर से प्रश्नगत हारका पंजीयन प्रमाणपत्र की छाया प्रति मय असल के दाखिल की गयी हैं, जो वैध हैं, जिसके अनुसारप्रार्थी प्रश्नगत हारउपरोक्त का पंजीकृत स्वामी है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत वाहनप्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में अवमुक्त किए जाने हेतु पर्याप्त आधार है।

आदेश

आवेदनप्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अतः संबंधित थानाध्यक्ष को आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत हारसं0—यू0पी0 90टी0/7691प्रार्थी/स्वामी के हक में यदि एम0 वी0 एक्ट के अतिरिक्त किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो अवमुक्त कर दिया जाय।प्रार्थी **द्वारा अगर उपरोक्त प्रकरण में कोई कर व टैक्स देय है तो उसे वसूलने के लिए सम्भागीय परिवहन अधिकारी स्वतंत्र होगे।**

प्रथम ए0सी0जे0एम0,

बांदा

22.05.2023

न्यायालय– प्रथम ए0 सी0 जे0 एम0 बांदा

प्रकीर्ण वाद सख्या–1259 / 2023

सरकार बनाम विकास मौर्या
धारा–एम0वी0एक्ट
थाना–बिसण्डा

22.03.2023

प्रार्थिया विकास मौर्या की ओर से धारा–एम.वी.एक्ट के तहत थाना अतर्रा जिला बांदा में निरूद्ध हारपंजीयन सं0–यू0पी0 90टी./8182 को अपने हक में अवमुक्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि प्रश्नगत हारउपरोक्त पहले सुशीला कुशवाहा पत्नी शिवमंगल निवासी फदाली का पुरवा ने एम./एस. सुपरक्लाउड प्रा0लि0 120/71 लाजपत नगर कानपुर द्वारा शाखा प्रबन्धक शाखा नरैनी बजाज फाइनेन्स लि0 के जरिए क्रय किया था किन्तु किस्त न अदा करने की वजह से उक्त कंपनी द्वारा उक्त हारअपने कब्जे में ले लिया था। दिनांक 21.07.2022 को उक्त हारको सुशीला कुशवाहा ने कंपनी को सुपुर्द कर दिया था तब दिनांक 05.11.2022 को उक्त कंपनी ने पुनः विक्रय अनुबन्ध के आधार पर उपरोक्त हारपच्चासी हजार रूपये मेंप्रार्थी के हक में विक्रय कर दिया था और ऋण अदा करने के पश्चातप्रार्थी अपने नाम ट्रान्सफर करा लेगा।प्रार्थी प्रश्नगत का स्वामी है और उसके हारके सभी कागजात वैध हैं। उसके हारको पुलिस ने गैर कानूनी ढंग से सीज कर दिया है। निरूद्ध रहने से उसके खराब होने की आशंका है। याचना की है कि प्रश्नगत हारउसके हक में अवमुक्त कर दिया जाय।

सुना एवं संबंधित उपलब्ध प्रपत्रों व थाने की आख्या का अवलोकन किया। चूंकि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल करके जुर्माना अदा कर दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त मामले का निस्तारण हो चुका है।

प्रार्थिया की ओर से प्रश्नगत हारउपरोक्त के सन्दर्भ विक्रय अनुबन्ध की छाया प्रति मय असल के दाखिल की गई साथ ही पंजीयन एवं परमिट प्रमाणपत्र की छाया प्रति मय असल के दाखिल की गयी हैं, जो वैध हैं, जिसके अनुसार सुशीला कुशवाहा का नाम पंजीकृत स्वामिनी के रूप में दर्ज है। चूंकि उपरोक्त हारजो पहले सुशीला कुशवाहा के नाम रजिस्टर्ड था, उसे सुशीला द्वारा कंपनी को सुपुर्द करने के बाद पुनः विक्रय अनुबन्ध के आधार पर कंपनी द्वाराप्रार्थी के नाम किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत वाहनप्रार्थी राजू पुत्र लालजी के हक में सशर्त अवमुक्त किए जाने हेतु पर्याप्त आधार है।

आदेश

आवेदनप्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अतः संबंधित थानाध्यक्ष को आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत हारपंजीयन सं0–यू0पी0 90टी./8182प्रार्थी राजू पुत्र लालजी के हक में यदि एम0 वी0 एक्ट के अतिरिक्त किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो अवमुक्त कर दिया जाय।

प्रथम ए0सी0जे0एम0, बांदा

20.12.2022

न्यायालय– प्रथम ए0 सी0 जे0 एम0 बांदा

प्रकीर्ण वाद सख्या–1034/2020

सरकार बनाम उदय सिंह

धारा–एम0वी0एक्ट

थाना–अतर्रा

28.04.2023

प्रार्थिया उदय सिंह की ओर से धारा–एम.वी.एक्ट के तहत थाना अतर्रा जिला बांदा में निरूद्ध हारपंजीयन सं0–यू0पी0 90टी./4627 को अपने हक में अवमुक्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि वह प्रश्नगत हारका पंजीकृत स्वामी है और उसके हारके सभी कागजात वैध हैं। उसके हारको पुलिस ने गैर कानूनी ढंग से सीज कर दिया है। निरूद्ध रहने से उसके खराब होने की आशंका है। याचना की है कि प्रश्नगत हारउसके हक में अवमुक्त कर दिया जाय।

सुना एवं संबंधित उपलब्ध प्रपत्रों व थाने की आख्या का अवलोकन किया। थाने की आख्या के अनुसार हारउपरोक्त को आर0टी0ओ0 बांदा द्वारा दाखिल किया गया है जो सुरक्षार्थ थाना परिसर में खडा है। उक्त के संबंध में आर0टी0ओ0 बांदा से आख्या आहूत की गयी। आर0टी0ओ0 बांदा की आख्या के अनुसार हारसं0–यू0पी0 90टी./4627 के संबंध में कम्प्यूटर अभिलेखानुसार परिवहन विभाग से संबंधित कोई चालान प्रदर्शित नहीं हो रहा है। तत्पश्चात थाना अतर्रा से पुनः आख्या तलब की गयी। थाने की आख्या दिनांकित 12.04.2023 के अनुसार हारस0–यू0पी0 90टी./4627 को आर0टी0ओ0 बांदा द्वारा दिनांक 18.03.2023 को बतौर सुरक्षार्थ थाना परिसर में खडा कराया गया था जो थाना परिसर में खडा है। इस प्रकार उपरोक्त हारकिसी भी अपराध में वॉछित नहीं है।प्रार्थी की ओर से प्रश्नगत हारका पंजीयन प्रमाणपत्र की छाया प्रति मय असल के दाखिल की गयी हैं, जो वैध हैं, जिसके अनुसारप्रार्थी प्रश्नगत हारउपरोक्त का पंजीकृत स्वामी है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत वाहनप्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में अवमुक्त किए जाने हेतु पर्याप्त आधार है।

आदेश

आवेदनप्रार्थी स्वीकार किया जाता है। तद्नुसार प्रश्नगत हारसं0–यू0पी0 90टी./4627प्रार्थी द्वारा अण्डर टेंकिग दाखिल करने पर पंजीकृत स्वामी के पक्ष में निम्न शर्तो के रिलीज की जावेः–

1. न्यायालय द्वारा तलब किए जाने पर प्रश्नगत हारउपरोक्त वह अपने खर्चे पर न्यायालय के समक्ष पेश करेगा,

2. प्रश्नगत हारउपरोक्त किसी अन्य को हस्तान्तरित नहीं करेगा और न ही उसका रंगरूप परिवर्तित करेगा तथा सुरक्षित रखेगा,

आवेदक द्वारा उक्त शर्तो के अनुपालन के पश्चात प्रश्नगत हारयदि किसी अन्य मामले में वांछित न हो, तो उसे उसके पंजीकृत स्वामी के पक्ष में नियमानुसार सुपुर्द कर दिया जावे।

संबंधित थाना प्रभारी को आदेश के अनुपालनार्थ आदेश की प्रति अविलम्ब प्रेषित की जावे।

प्रथम ए0 सी0 जे0 एम0,

बांदा

12.04.2023

न्यायालय— प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदा

प्रकीर्ण वाद संख्या—1331/2023

सरकार बनाम श्रीमती अभिलाषा यादव
धारा—एम0वी0एक्ट
थाना—चिल्ला, जिला बांदा

22.03.2023

प्रार्थिया श्रीमती अभिलाषा यादव की ओर से धारा—एम.वी.एक्ट के तहत थाना चिल्ला जिला बांदा में निरूद्ध हारपंजीयन सं0—यू0पी0 78डी.टी./8787 को अपने हक में अवमुक्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि उसके पति ननकू यादव प्रश्नगत हारके पंजीकृत स्वामी है और उनके हारके सभी कागजात वैध हैं।प्रार्थी के पति की मृत्यु दिनांक 21.02.2018 को हो गयी थी।प्रार्थी अपने पति की मृत्यु के उपरान्त उक्त गाडी की विधिक वारिस है। उसके हारको पुलिस ने गैर कानूनी ढंग से सीज कर दिया है। निरूद्ध रहने से उसके खराब होने की आशंका है। याचना की है कि प्रश्नगत वाहनप्रार्थी के हक में अवमुक्त कर दिया जाय।

सुना एवं संबंधित उपलब्ध प्रपत्रों व थाने की आख्या का अवलोकन किया। चूंकि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल करके जुर्माना अदा कर दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त मामले का निस्तारण हो चुका है।प्रार्थी की ओर से प्रश्नगत हारका पंजीयन, बीमा, मृत्यु प्रमाणपत्र एवं उपजिलाधिकारी कानपुर नगर द्वारा जारी पारिवारिक सदस्यता प्रमाणपत्र की छाया प्रति मय असल के दाखिल की गयी हैं, जो वैध हैं, जिनके अनुसारप्रार्थी प्रश्नगत हारउपरोक्त के पंजीकृत स्वामी ननकू यादव की विधवा पत्नी है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत वाहनप्रार्थी के हक में अवमुक्त किए जाने हेतु पर्याप्त आधार है।

आदेश

आवेदनप्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अतः संबंधित थानाध्यक्ष को आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत हारसं0—यू0पी0 78डी.टी./8787प्रार्थी श्रीमती अभिलाषा यादव के हक में यदि एम0 वी0 एक्ट के अतिरिक्त किसी अन्य

मामले में वांछित न हो तो अवमुक्त कर दिया जाय।प्रार्थी **द्वारा अगर उपरोक्त प्रकरण में कोई कर व टैक्स देय है तो उसे वसूलने के लिए सम्भागीय परिवहन अधिकारी स्वतंत्र होगे।**

प्रथम ए0सी0जे0एम0,

बांदा

22.03.2023

न्यायालय– प्रथम ए0 सी0 जे0 एम0 बांदा
प्रकीर्ण वाद सख्या–1680/2023

सरकार बनाम अंकित सिंह
धारा–एम0वी0एक्ट
थाना–चिल्ला

17.05.2023

प्रार्थिया अंकित सिंह की ओर से धारा–एम.वी.एक्ट के तहत थाना चिल्ला जिला बांदा में निरूद्ध हारपंजीयन सं0–यू0पी0 72ए.टी./4909 को अपने हक में अवमुक्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि वह प्रश्नगत हारका पंजीकृत स्वामी है और उसके हारके सभी कागजात वैध हैं। उसके हारको पुलिस ने गैर कानूनी ढंग से सीज कर दिया है। निरूद्ध रहने से उसके खराब होने की आशंका है। याचना की है कि प्रश्नगत हारउसके हक में अवमुक्त कर दिया जाय।

सुना एवं संबंधित उपलब्ध प्रपत्रों व थाने की आख्या का अवलोकन किया। चूंकि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल करके जुर्माना अदा कर दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त मामले का निस्तारण हो चुका है।प्रार्थी की ओर से प्रश्नगत हारका पंजीयन प्रमाणपत्र की छाया प्रति मय असल के दाखिल की गयी हैं, जो वैध हैं, जिसके अनुसारप्रार्थी प्रश्नगत हारउपरोक्त का पंजीकृत स्वामी है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत वाहनप्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में अवमुक्त किए जाने हेतु पर्याप्त आधार है।

आदेश

आवेदनप्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अतः संबंधित थानाध्यक्ष को आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत हारसं0–यू0पी0 72ए.टी./4909प्रार्थी/स्वामी के हक में यदि एम0 वी0 एक्ट के अतिरिक्त किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो अवमुक्त कर दिया जाय।प्रार्थी **द्वारा अगर उपरोक्त प्रकरण में कोई कर व टैक्स देय है तो उसे वसूलने के लिए सम्भागीय परिवहन अधिकारी स्वतंत्र होगे।**

प्रथम ए0सी0जे0एम0,

बांदा

17.05.2023

न्यायालय– प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदा

प्रकीर्ण वाद संख्या–1313/2023

सरकार बनाम देवेन्द्र मौर्या
धारा–एम0वी0एक्ट
थाना–गिरवॉ, जिला बांदा

17.05.2023

प्रार्थिया देवेन्द्र मौर्या की ओर से धारा–एम.वी.एक्ट के तहत थाना गिरवॉ जनपद बांदा में निरूद्ध हारपंजीयन सं0–यू0पी0 32डी.एन./7872 को अपने हक में अवमुक्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि वह प्रश्नगत हारका पंजीकृत स्वामी है और उसके हारके सभी कागजात वैध हैं। उसके हारको पुलिस ने गैर कानूनी ढंग से सीज कर दिया है। निरूद्ध रहने से उसके खराब होने की आशंका है। याचना की है कि प्रश्नगत हारउसके हक में मय माल सीमेन्ट अवमुक्त कर दिया जाय।

सुना एवं संबंधित उपलब्ध प्रपत्रों व थाने की आख्या का अवलोकन किया। चूंकि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल करके जुर्माना अदा कर दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त मामले का निस्तारण हो चुका है।प्रार्थी की ओर से प्रश्नगत हारका पंजीयन प्रमाणपत्र की छाया प्रति मय असल के दाखिल की गयी हैं, जो वैध हैं, जिसके अनुसारप्रार्थी प्रश्नगत हारउपरोक्त का पंजीकृत स्वामी है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत वाहनप्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में मय माल अवमुक्त किए जाने हेतु पर्याप्त आधार है।

आदेश

आवेदनप्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अतः संबंधित थानाध्यक्ष को आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत हारसं0–यू0पी0 32डी.एन. /7872प्रार्थी/स्वामी के हक में यदि एम0 वी0 एक्ट के अतिरिक्त किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो अवमुक्त कर दिया जाय।प्रार्थी **द्वारा अगर उपरोक्त प्रकरण में कोई कर व टैक्स देय है तो उसे वसूलने के लिए सम्भागीय परिवहन अधिकारी स्वतंत्र होगे।**

प्रथम ए0सी0जे0एम0,

बांदा

17.05.2023

न्यायालय– प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदा

प्रकीर्ण वाद संख्या–1562/2023

सरकार बनाम शिवनागर शाह
धारा–एम0वी0एक्ट
थाना–चिल्ला

17.05.2023

प्रार्थी शिवनागर शाह की ओर से धारा–एम.वी.एक्ट के तहत थाना चिल्ला जिला बांदा में निरूद्ध हारपंजीयन सं0–यू0पी0 41ए.टी./5604 को अपने हक में अवमुक्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि वह प्रश्नगत हारका पंजीकृत स्वामी है और उसके हारके सभी कागजात वैध हैं। उसके हारको पुलिस ने गैर कानूनी ढंग से सीज कर दिया है। निरूद्ध रहने से उसके खराब होने की आशंका है। याचना की है कि प्रश्नगत हारउसके हक में अवमुक्त कर दिया जाय।

सुना एवं संबंधित उपलब्ध प्रपत्रों व थाने की आख्या का अवलोकन किया। चूंकि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल करके जुर्माना अदा कर दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त मामले का निस्तारण हो चुका है।प्रार्थी की ओर से प्रश्नगत हारका पंजीयन प्रमाणपत्र की छाया प्रति मय असल के दाखिल की गयी हैं, जो वैध हैं, जिसके अनुसारप्रार्थी प्रश्नगत हारउपरोक्त का पंजीकृत स्वामी है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत वाहनप्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में अवमुक्त किए जाने हेतु पर्याप्त आधार है।

आदेश

आवेदनप्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अतः संबंधित थानाध्यक्ष को आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत हारसं0–यू0पी0 41ए.टी./5604प्रार्थी/स्वामी के हक में यदि एम0 वी0 एक्ट के अतिरिक्त किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो अवमुक्त कर दिया जाय।प्रार्थी **द्वारा अगर उपरोक्त प्रकरण में कोई कर व टैक्स देय है तो उसे वसूलने के लिए सम्भागीय परिवहन अधिकारी स्वतंत्र होंगे।**

प्रथम ए0सी0जे0एम0,

बांदा

17.05.2023

न्यायालय— प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदा

प्रकीर्ण वाद संख्या—1563/2023

सरकार बनाम सरयू प्रसाद
धारा—एम0वी0एक्ट
थाना—कोतवाली नगर बांदा

17.05.2023

प्रार्थिया सरयू प्रसाद की ओर से धारा—एम.वी.एक्ट के तहत थाना कोतवाली नगर बांदा जनपद बांदा में निरूद्ध हारपंजीयन सं0—यू0पी0 42बी.टी./1893 को अपने हक में अवमुक्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि वह प्रश्नगत हारका पंजीकृत स्वामी है और उसके हारके सभी कागजात वैध हैं। उसके हारको पुलिस ने गैर कानूनी ढंग से सीज कर दिया है। निरूद्ध रहने से उसके खराब होने की आशंका है। याचना की है कि प्रश्नगत हारउसके हक में अवमुक्त कर दिया जाय।

सुना एवं संबंधित उपलब्ध प्रपत्रों व थाने की आख्या का अवलोकन किया। चूंकि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल करके जुर्माना अदा कर दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त मामले का निस्तारण हो चुका है।प्रार्थी की ओर से प्रश्नगत हारका पंजीयन प्रमाणपत्र की छाया प्रति मय असल के दाखिल की गयी हैं, जो वैध हैं, जिसके अनुसारप्रार्थी प्रश्नगत हारउपरोक्त का पंजीकृत स्वामी है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत वाहनप्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में अवमुक्त किए जाने हेतु पर्याप्त आधार है।

आदेश

आवेदनप्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अतः संबंधित थानाध्यक्ष को आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत हारसं0—यू0पी0 42बी.टी./1893प्रार्थी/स्वामी के हक में यदि एम0 वी0 एक्ट के अतिरिक्त किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो अवमुक्त कर दिया जाय।प्रार्थी **द्वारा अगर उपरोक्त प्रकरण**

में कोई कर व टैक्स देय है तो उसे वसूलने के लिए सम्भागीय परिवहन अधिकारी स्वतंत्र होगे।

प्रथम ए0सी0जे0एम0,

बांदा

17.05.2023

न्यायालय– प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदा

प्रकीर्ण वाद संख्या–1567/2023

सरकार बनाम राहुल
धारा–एम0वी0एक्ट
थाना–कोतवाली नगर बांदा

17.05.2023

प्रार्थिया राहुल की ओर से धारा–एम.वी.एक्ट के तहत थाना कोतवाली नगर बांदा में निरूद्ध हारपंजीयन सं0–यू0पी0 71ए.टी./0528 को अपने हक में अवमुक्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि वह प्रश्नगत हारका पंजीकृत स्वामी है और उसके हारके सभी कागजात वैध हैं। उसके हारको पुलिस ने गैर कानूनी ढंग से सीज कर दिया है। निरूद्ध रहने से उसके खराब होने की आशंका है। याचना की है कि प्रश्नगत हारउसके हक में अवमुक्त कर दिया जाय।

सुना एवं संबंधित उपलब्ध प्रपत्रों व थाने की आख्या का अवलोकन किया। चूंकि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल करके जुर्माना अदा कर दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त मामले का निस्तारण हो चुका है।प्रार्थी की ओर से प्रश्नगत हारका पंजीयन प्रमाणपत्र की छाया प्रति मय असल के दाखिल की गयी हैं, जो वैध हैं, जिसके अनुसारप्रार्थी प्रश्नगत हारउपरोक्त का पंजीकृत स्वामी है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत वाहनप्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में अवमुक्त किए जाने हेतु पर्याप्त आधार है।

आदेश

आवेदनप्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अतः संबंधित थानाध्यक्ष को आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत हारसं0–यू0पी0 71ए.टी./0528प्रार्थी/स्वामी के हक में यदि एम0 वी0 एक्ट के अतिरिक्त किसी अन्य

मामले में वांछित न हो तो अवमुक्त कर दिया जाय।प्रार्थी **द्वारा अगर उपरोक्त प्रकरण में कोई कर व टैक्स देय है तो उसे वसूलने के लिए सम्भागीय परिवहन अधिकारी स्वतंत्र होगें।**

प्रथम ए0सी0जे0एम0,

बांदा

17.05.2023

न्यायालय– प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदा

प्रकीर्ण वाद संख्या–1564 / 2023

सरकार बनाम अयूब अहमद
धारा–एम0वी0एक्ट
थाना–मटौंध

17.05.2023

प्रार्थिया अयूब अहमद की ओर से धारा–एम.वी.एक्ट के तहत थाना मटौंध जनपद बांदा में निरूद्ध हारपंजीयन सं0–यू0पी0 71टी./9359 को अपने हक में अवमुक्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि वह प्रश्नगत हारका पंजीकृत स्वामी है और उसके हारके सभी कागजात वैध हैं। उसके हारको पुलिस ने गैर कानूनी ढंग से सीज कर दिया है। निरूद्ध रहने से उसके खराब होने की आशंका है। याचना की है कि प्रश्नगत हारउपरोक्त उसके हक में अवमुक्त कर दिया जाए।

सुना एवं संबंधित उपलब्ध प्रपत्रों व थाने की आख्या का अवलोकन किया। चूंकि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल करके जुर्माना अदा कर दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त मामले का निस्तारण हो चुका है।प्रार्थी की ओर से प्रश्नगत हारउपरोक्त के सन्दर्भ पंजीयन प्रमाणपत्र की छाया प्रति मय असल के दाखिल की गयी है, जो वैध हैं, जिसके अनुसारप्रार्थी प्रश्नगत हारउपरोक्त का पंजीकृत स्वामी है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत वाहनप्रार्थी के हक में अवमुक्त किए जाने हेतु पर्याप्त आधार है।

आदेश

आवेदनप्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अतः संबंधित थानाध्यक्ष को आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत हारपंजीयन सं0–यू0पी0 71टी./

9359प्रार्थी/स्वामी के हक में यदि एम0 वी0 एक्ट के अतिरिक्त किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो अवमुक्त कर दिया जाए।प्रार्थी **द्वारा अगर उपरोक्त प्रकरण में कोई कर व टैक्स देय है तो उसे वसूलने के लिए सम्भागीय परिवहन अधिकारी स्वतंत्र होगे।**

प्रथम ए0सी0जे0एम0, बॉदा

17.05.2023

न्यायालय– प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदा

प्रकीर्ण वाद संख्या–1671/2023

सरकार बनाम राजकुमार जायसवाल
धारा–एम0वी0एक्ट
थाना–कोतवाली नगर, बांदा

08.05.2023

प्रार्थिया राजकुमार जायसवाल की ओर से धारा–एम.वी.एक्ट के तहत थाना कोतवाली नगर बांदा जनपद बांदा में निरूद्ध हारपंजीयन सं0–यू0पी0 72ए. टी./7100 को अपने हक में अवमुक्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि वह प्रश्नगत हारका पंजीकृत स्वामी है और उसके हारके सभी कागजात वैध हैं। उसके हारको पुलिस ने गैर कानूनी ढंग से सीज कर दिया है। निरूद्ध रहने से उसके खराब होने की आशंका है। याचना की है कि प्रश्नगत हारउपरोक्त उसके हक में अवमुक्त कर दिया जाए।

सुना एवं संबंधित उपलब्ध प्रपत्रों व थाने की आख्या का अवलोकन किया। चूंकि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल करके जुर्माना अदा कर दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त मामले का निस्तारण हो चुका है।प्रार्थी की ओर से प्रश्नगत हारउपरोक्त के सन्दर्भ पंजीयन प्रमाणपत्र की छाया प्रति मय असल के दाखिल की गयी है, जो वैध हैं, जिसके अनुसारप्रार्थी प्रश्नगत हारउपरोक्त का पंजीकृत स्वामी है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत वाहनप्रार्थी के हक में अवमुक्त किए जाने हेतु पर्याप्त आधार है।

आदेश

आवेदनप्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अतः संबंधित थानाध्यक्ष को आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत हारपंजीयन सं0–यू0पी0 72ए.टी./

7100प्रार्थी/स्वामी के हक में यदि एम0 वी0 एक्ट के अतिरिक्त किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो अवमुक्त कर दिया जाए।प्रार्थी **द्वारा अगर उपरोक्त प्रकरण में कोई कर व टैक्स देय है तो उसे वसूलने के लिए सम्भागीय परिवहन अधिकारी स्वतंत्र होगे।**

प्रथम ए0सी0जे0एम0,

बांदा

08.05.2023

न्यायालय– प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदा

प्रकीर्ण वाद संख्या–1646/2023

सरकार बनाम शैलेन्द्र बहादुर सिंह
धारा–एम0वी0एक्ट
थाना–मटौंध

08.05.2023

प्रार्थिया शैलेन्द्र बहादुर सिंह की ओर से धारा–एम.वी.एक्ट के तहत थाना मटौंध में निरूद्ध हारपंजीयन सं0–यू0पी0 33ए.टी./2237 को अपने हक में अवमुक्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि वह प्रश्नगत हारका पंजीकृत स्वामी है और उसके हारके सभी कागजात वैध हैं। उसके हारको पुलिस ने गैर कानूनी ढंग से सीज कर दिया है। निरूद्ध रहने से उसके खराब होने की आशंका है। याचना की है कि प्रश्नगत हारउपरोक्त उसके हक में अवमुक्त कर दिया जाए।

सुना एवं संबंधित उपलब्ध प्रपत्रों व थाने की आख्या का अवलोकन किया। चूंकि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल करके जुर्माना अदा कर दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त मामले का निस्तारण हो चुका है।प्रार्थी की ओर से प्रश्नगत हारउपरोक्त के सन्दर्भ में पंजीयन प्रमाणपत्र की छाया प्रति मय असल के दाखिल की गयी है, जो वैध हैं, जिसके अनुसारप्रार्थी प्रश्नगत हारउपरोक्त का पंजीकृत स्वामी है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत हारट्रकप्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में अवमुक्त किए जाने हेतु पर्याप्त आधार है।

आदेश

आवेदनप्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अतः संबंधित थानाध्यक्ष को आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत हारपंजीयन सं0–यू0पी0 33ए.टी./2237प्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में यदि एम0 वी0 एक्ट के अतिरिक्त किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो अवमुक्त कर दिया जाए।प्रार्थी **द्वारा अगर**

उपरोक्त प्रकरण में कोई कर व टैक्स देय है तो उसे वसूलने के लिए सम्भागीय परिवहन अधिकारी स्वतंत्र होगे।

प्रथम ए0सी0जे0एम0, बांदा

08.05.2023

न्यायालय– प्रथम ए0 सी0 जे0 एम0 बांदा

प्रकीर्ण वाद सख्या–1662/2023

सरकार बनाम मो0 अजीम
धारा–एम0वी0एक्ट
थाना–कोतवाली देहात बांदा

08.05.2023

प्रार्थिया मो0 अजीम की ओर से धारा–एम.वी.एक्ट के तहत थाना कोतवाली देहात में निरूद्ध प्रश्नगत हारपंजीयन सं0–यू0पी0 32एल.एन./5907 को अपने हक में अवमुक्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि वह प्रश्नगत हारका पंजीकृत स्वामी है और उसके हारके सभी कागजात वैध हैं। उसके हारको पुलिस ने गैर कानूनी ढंग से सीज कर दिया है। निरूद्ध रहने से उसके खराब होने की आशंका है। याचना की है कि प्रश्नगत हारउपरोक्त उसके हक में अवमुक्त कर दिया जाए।

सुना एवं संबंधित उपलब्ध प्रपत्रों व थाने की आख्या का अवलोकन किया। चूंकि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल करके जुर्माना अदा कर दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त मामले का निस्तारण हो चुका है।प्रार्थी की ओर से प्रश्नगत हारउपरोक्त के सन्दर्भ पंजीयन एवं बीमा प्रमाणपत्र की छाया प्रति मय असल के दाखिल की गयी है, जो वैध हैं, जिसके अनुसारप्रार्थी प्रश्नगत हारउपरोक्त का पंजीकृत स्वामी है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत वाहनप्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में अवमुक्त किए जाने हेतु पर्याप्त आधार है।

आदेश

आवेदनप्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अतः संबंधित थानाध्यक्ष को आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत हारपंजीयन सं0–32एल.एन./5907प्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में यदि एम0 वी0 एक्ट के अतिरिक्त किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो अवमुक्त कर दिया जाए।प्रार्थी **द्वारा अगर उपरोक्त प्रकरण में कोई कर व टैक्स देय है तो उसे वसूलने के लिए सम्भागीय परिवहन अधिकारी स्वतंत्र होगे।**

प्रथम ए0सी0जे0एम0, बांदा

08.05.2023

न्यायालय– प्रथम ए0 सी0 जे0 एम0 बांदा

प्रकीर्ण वाद सख्या–1338/2023

सरकार बनाम रामबाबू कुशवाहा
धारा–एम0वी0एक्ट
थाना–कोतवाली नगर बांदा

02.05.2023

प्रार्थिया रामबाबू कुशवाहा की ओर से धारा–एम.वी.एक्ट के तहत थाना कोतवाली नगर बांदा जिला बांदा में निरूद्ध हारपंजीयन सं0–यू0पी0 90टी./7662 को अपने हक में अवमुक्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि वह प्रश्नगत हारका पंजीकृत स्वामी है और उसके हारके सभी कागजात वैध हैं। उसके हारको पुलिस ने गैर कानूनी ढंग से सीज कर दिया है। निरूद्ध रहने से उसके खराब होने की आशंका है। याचना की है कि प्रश्नगत हारउपरोक्त उसके हक में अवमुक्त कर दिया जाय।

सुना एवं संबंधित उपलब्ध प्रपत्रों व थाने की आख्या का अवलोकन किया। चूंकि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल करके जुर्माना अदा कर दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त मामले का निस्तारण हो चुका है।प्रार्थी की ओर से प्रश्नगत हारउपरोक्त के सन्दर्भ पंजीयन प्रमाणपत्र की छाया प्रति मय असल के दाखिल की गयी है, जो वैध हैं, जिसके अनुसारप्रार्थी प्रश्नगत हारउपरोक्त का पंजीकृत स्वामी है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत वाहनप्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में अवमुक्त किए जाने हेतु पर्याप्त आधार है।

आदेश

आवेदनप्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अतः संबंधित थानाध्यक्ष को आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत हारपंजीयन सं0–90टी./7662 प्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में यदि एम0 वी0 एक्ट के अतिरिक्त किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो अवमुक्त कर दिया जाय।प्रार्थी **द्वारा अगर उपरोक्त प्रकरण में कोई कर व टैक्स देय है तो उसे वसूलने के लिए सम्भागीय परिवहन अधिकारी स्वतंत्र होगे।**

प्रथम ए0सी0जे0एम0, बांदा

02.05.2023

न्यायालय– प्रथम ए0 सी0 जे0 एम0 बांदा

प्रकीर्ण वाद सख्या–1606/2023

सरकार बनाम लवकुश सिंह
धारा–एम0वी0एक्ट
थाना–नरैनी

02.05.2023

प्रार्थिया लवकुश सिंह की ओर से धारा–एम.वी.एक्ट के तहत थाना नरैनी जिला बांदा में निरूद्ध हारट्रक पंजीयन सं0–यू0पी0 90टी./9671 को अपने हक में अवमुक्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि वह प्रश्नगत हारका पंजीकृत स्वामी है और उसके हारके सभी कागजात वैध हैं। उसके हारको पुलिस ने गैर कानूनी ढंग से सीज कर दिया है। निरूद्ध रहने से उसके खराब होने की आशंका है। याचना की है कि प्रश्नगत हारउपरोक्त उसके हक में अवमुक्त कर दिया जाय।

सुना एवं संबंधित उपलब्ध प्रपत्रों व थाने की आख्या का अवलोकन किया। चूंकि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल करके जुर्माना अदा कर दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त मामले का निस्तारण हो चुका है।प्रार्थी की ओर से प्रश्नगत हारउपरोक्त के सन्दर्भ पंजीयन, परमिट एवं डी0एल0 प्रमाणपत्र की छाया प्रति मय असल के दाखिल की गयी है, जो वैध हैं, जिसके अनुसारप्रार्थी प्रश्नगत हारउपरोक्त का पंजीकृत स्वामी है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत वाहनप्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में सशर्त अवमुक्त किए जाने हेतु पर्याप्त आधार है।

आदेश

आवेदनप्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अतः संबंधित थानाध्यक्ष को आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत हारट्रक पंजीयन सं0–यू0पी0 90टी./9671प्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में यदि एम0 वी0 एक्ट के अतिरिक्त किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो अवमुक्त कर दिया जाय।प्रार्थी **द्वारा अगर उपरोक्त प्रकरण में कोई कर व टैक्स देय है तो उसे वसूलने के लिए सम्भागीय परिवहन अधिकारी स्वतंत्र होगे।**

प्रथम ए0सी0जे0एम0, बांदा

02.05.2023

न्यायालय— प्रथम ए0 सी0 जे0 एम0 बांदा

प्रकीर्ण वाद सख्या—1481/2023

सरकार बनाम विजय प्रताप सिंह
धारा—एम0वी0एक्ट
थाना—कोतवाली नगर बांदा

10.04..2023

प्रार्थिया विजय प्रताप सिंह की ओर से धारा—एम.वी.एक्ट के तहत थाना कोतवाली नगर बांदा जिला बांदा में निरूद्ध हारट्रक पंजीयन सं0—यू0पी0 33ए.टी./7582 को अपने हक में अवमुक्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि वह प्रश्नगत हारका पंजीकृत स्वामी है और उसके हारके सभी कागजात वैध हैं। उसके हारको पुलिस ने गैर कानूनी ढंग से सीज कर दिया है। निरूद्ध रहने से उसके खराब होने की आशंका है। याचना की है कि प्रश्नगत हारउपरोक्त उसके हक में अवमुक्त कर दिया जाय।

सुना एवं संबंधित उपलब्ध प्रपत्रों व थाने की आख्या का अवलोकन किया। चूंकि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल करके जुर्माना अदा कर दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त मामले का निस्तारण हो चुका है।प्रार्थी की ओर से प्रश्नगत हारउपरोक्त के सन्दर्भ पंजीयन प्रमाणपत्र की छाया प्रति मय असल के दाखिल की गयी है, जो वैध हैं, जिसके अनुसारप्रार्थी प्रश्नगत हारउपरोक्त का पंजीकृत स्वामी है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत वाहनप्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में सशर्त अवमुक्त किए जाने हेतु पर्याप्त आधार है।

आदेश

आवेदनप्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अतः संबंधित थानाध्यक्ष को आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत हारट्रक पंजीयन सं0—यू0पी0 33ए.टी./7582प्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में यदि एम0 वी0 एक्ट के अतिरिक्त किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो अवमुक्त कर दिया जाय।प्रार्थी **द्वारा अगर उपरोक्त प्रकरण में कोई कर व टैक्स देय है तो उसे वसूलने के लिए सम्भागीय परिवहन अधिकारी स्वतंत्र होगे।**

प्रथम ए0सी0जे0एम0, बांदा

10.04.2023

न्यायालय– प्रथम ए0 सी0 जे0 एम0 बांदा

प्रकीर्ण वाद सख्या–1130/2023

सरकार बनाम सुधीर कुमार
धारा–एम0वी0एक्ट
थाना–अतर्रा

03.03.2023

प्रार्थिया सुधीर कुमार की ओर से धारा–एम.वी.एक्ट के तहत थाना अतर्रा जिला बांदा में निरूद्ध हारपंजीयन सं0–यू0पी0 90टी/5828 को अपने हक में अवमुक्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि वह प्रश्नगत हारका पंजीकृत स्वामी है और उसके हारके सभी कागजात वैध हैं। उसके हारको पुलिस ने गैर कानूनी ढंग से सीज कर दिया है। निरूद्ध रहने से उसके खराब होने की आशंका है। याचना की है कि प्रश्नगत हारउपरोक्त उसके हक में अवमुक्त कर दिया जाय।

सुना एवं संबंधित उपलब्ध प्रपत्रों व थाने की आख्या का अवलोकन किया। चूंकि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल करके जुर्माना अदा कर दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त मामले का निस्तारण हो चुका है।प्रार्थी की ओर से प्रश्नगत हारउपरोक्त के सन्दर्भ पंजीयन प्रमाणपत्र की छाया प्रति मय असल के दाखिल की गयी है, जो वैध हैं, जिसके अनुसारप्रार्थी प्रश्नगत हारउपरोक्त का पंजीकृत स्वामी है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत वाहनप्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में सशर्त अवमुक्त किए जाने हेतु पर्याप्त आधार है।

आदेश

आवेदनप्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अतः संबंधित थानाध्यक्ष को आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत हारपंजीयन सं0–यू0पी0 90टी/5828प्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में यदि एम0 वी0 एक्ट के अतिरिक्त किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो अवमुक्त कर दिया जाय।प्रार्थी **द्वारा अगर उपरोक्त**

प्रकरण में कोई कर व टैक्स देय है तो उसे वसूलने के लिए सम्भागीय परिवहन अधिकारी स्वतंत्र होगे।

प्रथम ए0सी0जे0एम0, बांदा

03.03.2023

न्यायालय– प्रथम ए0 सी0 जे0 एम0 बांदा

प्रकीर्ण वाद सख्या–1135/2023

सरकार बनाम वीरेन्द्र कुमार
धारा–एम0वी0एक्ट
थाना–तिन्दवारी, जिला बांदा

03.03.2023

प्रार्थिया वीरेन्द्र कुमार की ओर से धारा–एम.वी.एक्ट के तहत थाना तिन्दवारी जिला बांदा में निरूद्ध हारट्रक पंजीयन सं0–यू0पी0 33ए.टी/6899 को अपने हक में अवमुक्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि वह प्रश्नगत हारका पंजीकृत स्वामी है और उसके हारके सभी कागजात वैध हैं। उसके हारको पुलिस ने गैर कानूनी ढंग से सीज कर दिया है। निरूद्ध रहने से उसके खराब होने की आशंका है। याचना की है कि प्रश्नगत हारउपरोक्त उसके हक में अवमुक्त कर दिया जाय।

सुना एवं संबंधित उपलब्ध प्रपत्रों व थाने की आख्या का अवलोकन किया। चूंकि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल करके जुर्माना अदा कर दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त मामले का निस्तारण हो चुका है।प्रार्थी की ओर से प्रश्नगत हारउपरोक्त के सन्दर्भ पंजीयन प्रमाणपत्र की छाया प्रति मय असल के दाखिल की गयी है, जो वैध हैं, जिसके अनुसारप्रार्थी प्रश्नगत हारउपरोक्त का पंजीकृत स्वामी है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत वाहनप्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में सशर्त अवमुक्त किए जाने हेतु पर्याप्त आधार है।

आदेश

आवेदनप्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अतः संबंधित थानाध्यक्ष को आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत हारट्रक पंजीयन सं0–यू0पी0 33ए.टी/6899प्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में यदि एम0 वी0 एक्ट के अतिरिक्त किसी अन्य

मामले में वांछित न हो तो अवमुक्त कर दिया जाय।प्रार्थी **द्वारा अगर उपरोक्त प्रकरण में कोई कर व टैक्स देय है तो उसे वसूलने के लिए सम्भागीय परिवहन अधिकारी स्वतंत्र होगे।**

प्रथम ए0सी0जे0एम0, बांदा

03.03.2023

न्यायालय– प्रथम ए0 सी0 जे0 एम0 बांदा

प्रकीर्ण वाद सख्या–4406/2022

सरकार बनाम धर्मेश बहादुर सिंह
धारा–एम0वी0एक्ट
थाना–अतर्रा, जिला बांदा

16.12.2022

प्रार्थिया धर्मेश बहादुर सिंह की ओर से धारा–एम.वी.एक्ट के तहत थाना अतर्रा जिला बांदा में निरूद्ध हारट्रक पंजीयन सं0–यू0पी0 71टी./9982 को अपने हक में अवमुक्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि वह प्रश्नगत हारका पंजीकृत स्वामी है और उसके हारके सभी कागजात वैध हैं। उसके हारको पुलिस ने गैर कानूनी ढंग से सीज कर दिया है। निरूद्ध रहने से उसके खराब होने की आशंका है। याचना की है कि प्रश्नगत हार उपरोक्त उसके हक में अवमुक्त कर दिया जाय।

सुना एवं संबंधित उपलब्ध प्रपत्रों व थाने की आख्या का अवलोकन किया। चूंकि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल करके जुर्माना अदा कर दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त मामले का निस्तारण हो चुका है।प्रार्थी की ओर से प्रश्नगत हारउपरोक्त के सन्दर्भ पंजीयन प्रमाणपत्र की छाया प्रति मय असल के दाखिल की गयी है, जो वैध हैं, जिसके अनुसारप्रार्थी प्रश्नगत हारट्रक उपरोक्त का पंजीकृत स्वामी है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत वाहनप्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में सशर्त अवमुक्त किए जाने हेतु पर्याप्त आधार है।

आदेश

आवेदनप्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अतः संबंधित थानाध्यक्ष को आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत हारट्रक पंजीयन सं0–यू0पी0 71टी.

/9982प्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में यदि एम0 वी0 एक्ट के अतिरिक्त किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो अवमुक्त कर दिया जाय।

प्रथम ए0सी0जे0एम0, बांदा

16.12.2022

न्यायालय– प्रथम ए0 सी0 जे0 एम0 बांदा

प्रकीर्ण वाद सख्या–4429/2022

सरकार बनाम संदीप

धारा–एम0वी0एक्ट

थाना–मटौंध, जिला बांदा

16.12.2022

प्रार्थिया संदीप की ओर से धारा–एम.वी.एक्ट के तहत थाना मटौंध जिला बांदा में निरूद्ध हारट्रक पंजीयन सं0–यू0पी0 71ए.टी./0704 को अपने हक में अवमुक्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि वह प्रश्नगत हारका पंजीकृत स्वामी है और उसके हारके सभी कागजात वैध हैं। उसके हारको पुलिस ने गैर कानूनी ढंग से सीज कर दिया है। निरूद्ध रहने से उसके खराब होने की आशंका है। याचना की है कि प्रश्नगत हार उपरोक्त उसके हक में अवमुक्त कर दिया जाय।

सुना एवं संबंधित उपलब्ध प्रपत्रों व थाने की आख्या का अवलोकन किया। चूंकि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल करके जुर्माना अदा कर दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त मामले का निस्तारण हो चुका है।प्रार्थी की ओर से प्रश्नगत हारउपरोक्त के सन्दर्भ पंजीयन,परमिट,फिटनेस,बीमा प्रमाणपत्र की छाया प्रति मय असल के दाखिल की गयी है, जो वैध हैं, जिसके अनुसारप्रार्थी प्रश्नगत हारट्रक उपरोक्त का पंजीकृत स्वामी है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत वाहनप्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में सशर्त अवमुक्त किए जाने हेतु पर्याप्त आधार है।

आदेश

आवेदनप्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अतः संबंधित थानाध्यक्ष को आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत हारट्रक पंजीयन सं0–यू0पी0 71ए.टी./

0704प्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में यदि एम0 वी0 एक्ट के अतिरिक्त किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो अवमुक्त कर दिया जाय।

प्रथम ए0सी0जे0एम0, बांदा

16.12.2022

न्यायालय– प्रथम ए0 सी0 जे0 एम0 बांदा

प्रकीर्ण वाद सख्या–4429/2022

सरकार बनाम श्रीमती रश्मि त्रिपाठी
धारा–एम0वी0एक्ट
थाना–बबेरू, जिला बांदा

13.07.2022

प्रार्थिया श्रीमती रश्मि त्रिपाठी की ओर से धारा–एम.वी.एक्ट के तहत थाना कोतवाली बबेरू में निरूद्ध हारमैजिक पंजीयन सं0–यू0पी0 90टी./5889 को अपने हक में अवमुक्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि वह प्रश्नगत हारकी पंजीकृत स्वामी है और उसके हारके सभी कागजात वैध हैं। उसके हारको पुलिस ने गैर कानूनी ढंग से सीज कर दिया है। निरूद्ध रहने से उसके खराब होने की आशंका है। याचना की है कि प्रश्नगत हारउसके हक में अवमुक्त कर दी जाय।

सुना एवं संबंधित उपलब्ध प्रपत्रों व थाने की आख्या का अवलोकन किया। चूंकि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल करके जुर्माना अदा कर दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त मामले का निस्तारण हो चुका है।प्रार्थी की ओर से प्रश्नगत हारउपरोक्त के सन्दर्भ पंजीयन, बीमा, डी0एल0 एवं परमिट प्रमाणपत्र की छाया प्रतियां मय असल के दाखिल की गयी हैं, जो वैध हैं, जिसके अनुसारप्रार्थी प्रश्नगत हारउपरोक्त का पंजीकृत स्वामी है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत वाहनप्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में सशर्त अवमुक्त किए जाने हेतु पर्याप्त आधार है।

आदेश

आवेदनप्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अतः संबंधित थानाध्यक्ष को आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत हारमैजिक पंजीयन सं0–यू0पी0 90टी.

/5889प्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में यदि एम0 वी0 एक्ट के अतिरिक्त किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो अवमुक्त कर दिया जाय।

प्रथम ए0सी0जे0एम0, बांदा

13.07.2022

न्यायालय– प्रथम ए0 सी0 जे0 एम0 बांदा

प्रकीर्ण वाद सख्या–1708/2022

सरकार बनाम रावेन्द्र
धारा–एम0वी0एक्ट
थाना–पैलानी, जिला बांदा

04.06.2022

प्रार्थिया रावेन्द्र की ओर से धारा–एम.वी.एक्ट के तहत थाना पैलानी में निरूद्ध हारट्रेक्टर पंजीयन सं0–यू0पी0 71ए.वी./1559 एवं इंजन नं0–3105NH1411096665F29 व चेचिस सं0–DXADR1102910S3 मय ट्राली को अपने हक में अवमुक्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि वह प्रश्नगत हारट्रेक्टर का पंजीकृत स्वामी है और उसके हारके सभी कागजात वैध हैं। उसके हारको पुलिस ने गैर कानूनी ढंग से सीज कर दिया है। निरूद्ध रहने से उसके खराब होने की आशंका है। याचना की है कि प्रश्नगत हारट्रेक्टर मय ट्राली उसके हक में अवमुक्त कर दिया जाय।

सुना एवं संबंधित उपलब्ध प्रपत्रों व थाने की आख्या का अवलोकन किया। चूंकि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल करके जुर्माना अदा कर दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त मामले का निस्तारण हो चुका है।प्रार्थी की ओर से प्रश्नगत हारउपरोक्त के सन्दर्भ पंजीयन प्रमाणपत्र की छाया प्रतियां मय असल के दाखिल की गयी हैं, जो वैध हैं, जिसके अनुसारप्रार्थी प्रश्नगत हारउपरोक्त का पंजीकृत स्वामी है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत वाहनप्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में सशर्त अवमुक्त किए जाने हेतु पर्याप्त आधार है।

आदेश

आवेदनप्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अतः संबंधित थानाध्यक्ष को आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत हारट्रेक्टर पंजीयन सं0–यू0पी0 71ए.वी./1559 एवं इंजन नं0– 3105NH1411096665F29 व चेचिस सं0–DXADR11029 10S3 मय ट्रालीप्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में यदि एम0 वी0 एक्ट के अतिरिक्त किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो अवमुक्त कर दिया जाय।

प्रथम ए0सी0जे0एम0, बांदा

04.06.2022

न्यायालय– प्रथम ए0 सी0 जे0 एम0 बांदा

प्रकीर्ण वाद सख्या–1946/2022

सरकार बनाम संजय सिंह
धारा–एम0वी0एक्ट
थाना–तिन्दवारी

09.06.2022

प्रार्थिया संजय सिंह की ओर से धारा–एम.वी.एक्ट के तहत थाना तिन्दवारी में निरूद्ध हारट्रक पंजीयन सं0–यू0पी0 95टी/1587 को अपने हक में अवमुक्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि वह प्रश्नगत हारका पंजीकृत स्वामी है। उसके हारके सभी कागजात वैध हैं। उसके हारको पुलिस ने गैर कानूनी ढंग से सीज कर दिया है। निरूद्ध रहने से उसके कलपुर्जे खराब होने की आशंका है। याचना की है कि प्रश्नगत हारट्रक उपरोक्त उसके हक में अवमुक्त कर दिया जाय।

सुना एवं संबंधित उपलब्ध प्रपत्रों व थाने की आख्या का अवलोकन किया। चूंकि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल करके जुर्माना अदा कर दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त मामले का निस्तारण हो चुका है।प्रार्थी की ओर से प्रश्नगत हारट्रक उपरोक्त के सन्दर्भ पंजीयन प्रमाणपत्र की छाया प्रति मय असल के दाखिल की गयी हैं, जो वैध हैं, जिसके अनुसारप्रार्थी प्रश्नगत हारट्रक उपरोक्त की पंजीकृत स्वामी है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत वाहनप्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में सशर्त अवमुक्त किए जाने हेतु पर्याप्त आधार है।

आदेश

आवेदनप्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अतः संबंधित थानाध्यक्ष को आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत हारट्रक पंजीयन सं0–यू0पी0 95टी/1587प्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में यदि एम0 वी0 एक्ट के अतिरिक्त किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो अवमुक्त कर दिया जाय।

प्रथम ए0सी0जे0एम0, बांदा

09.06.2022

न्यायालय– प्रथम ए0 सी0 जे0 एम0 बांदा

प्रकीर्ण वाद सख्या–1872/2022

सरकार बनाम अशोक कुमार
धारा–एम0वी0एक्ट
थाना–मटौंध

30.05.2022

प्रार्थिया अशोक कुमार की ओर से धारा–एम.वी.एक्ट के तहत थाना मटौंध में निरूद्ध हारट्रक पंजीयन सं0–यू0पी0 32पी.एन./9631 को अपने हक में अवमुक्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि वह प्रश्नगत हारका पंजीकृत स्वामी है। उसके हारके सभी कागजात वैध हैं। उसके हारको पुलिस ने गैर कानूनी ढंग से सीज कर दिया है। निरूद्ध रहने से उसके कलपुर्जे खराब होने की आशंका है। याचना की है कि प्रश्नगत हारट्रक उपरोक्त उसके हक में अवमुक्त कर दिया जाय।

सुना एवं संबंधित उपलब्ध प्रपत्रों व थाने की आख्या का अवलोकन किया। चूंकि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल करके जुर्माना अदा कर दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त मामले का निस्तारण हो चुका है।प्रार्थी की ओर से प्रश्नगत हारट्रक उपरोक्त के सन्दर्भ पंजीयन एवं बीमा प्रमाणपत्र की छाया प्रति मय असल के दाखिल की गयी हैं, जो वैध हैं, जिसके अनुसारप्रार्थी प्रश्नगत हारट्रक उपरोक्त की पंजीकृत स्वामी है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत वाहनप्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में सशर्त अवमुक्त किए जाने हेतु पर्याप्त आधार है।

आदेश

आवेदनप्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अतः संबंधित थानाध्यक्ष को आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत हारट्रक पंजीयन सं0–यू0पी0 32पी.एन. /9631प्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में यदि एम0 वी0 एक्ट के अतिरिक्त किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो अवमुक्त कर दिया जाय।

प्रथम ए0सी0जे0एम0, बांदा

30.05.2022

न्यायालय– प्रथम ए0 सी0 जे0 एम0 बांदा

प्रकीर्ण वाद सख्या–1842/2022

सरकार बनाम सीताराम समर्पण महाविद्यालय
धारा–एम0वी0एक्ट
थाना–नरैनी

28.05.2022

प्रार्थिया सीताराम समर्पण महाविद्यालय के प्रबन्धक रवीन्द्र देव त्रिपाठी की ओर से धारा–एम.वी.एक्ट के तहत थाना नरैनी में निरूद्ध हारमैजिक पंजीयन सं0–यू0पी0 90टी./4977 को अपने हक में अवमुक्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि वह प्रश्नगत हारका पंजीकृत स्वामी है। उसके हारके सभी कागजात वैध हैं। उसके हारको पुलिस ने गैर कानूनी ढंग से सीज कर दिया है। निरूद्ध रहने से उसके कलपुर्जे खराब होने की आशंका है। याचना की है कि प्रश्नगत हारट्रक उपरोक्त उसके हक में अवमुक्त कर दिया जाय।

सुना एवं संबंधित उपलब्ध प्रपत्रों व थाने की आख्या का अवलोकन किया। चूंकि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल करके जुर्माना अदा कर दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त मामले का निस्तारण हो चुका है।प्रार्थी की ओर से प्रश्नगत हारट्रक उपरोक्त के सन्दर्भ पंजीयन प्रमाणपत्र की छाया प्रति मय असल के दाखिल की गयी हैं, जो वैध हैं, जिसके अनुसारप्रार्थी प्रश्नगत हारट्रक उपरोक्त की पंजीकृत स्वामी है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत वाहनप्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में सशर्त अवमुक्त किए जाने हेतु पर्याप्त आधार है।

आदेश

आवेदनप्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अतः संबंधित थानाध्यक्ष को आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत हारमैजिक पंजीयन सं0–यू0पी0 90टी. /4977प्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में यदि एम0 वी0 एक्ट के अतिरिक्त किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो अवमुक्त कर दिया जाय।

प्रथम ए0सी0जे0एम0, बांदा

30.05.2022

न्यायालय– प्रथम ए0 सी0 जे0 एम0 बांदा

प्रकीर्ण वाद सख्या–1718/2022

सरकार बनाम श्रीकृष्ण

धारा–एम0वी0एक्ट

थाना–कोतवाली नगर बांदा

30..05..2022

प्रार्थिया श्रीकृष्ण की ओर से धारा–एम.वी.एक्ट के तहत थाना कोतवाली नगर बांदा में निरूद्ध हारट्रक पंजीयन सं0–यू0पी0 32ई.एन./8382 को अपने हक में अवमुक्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि वह प्रश्नगत हारका पंजीकृत स्वामी है। उसके हारके सभी कागजात वैध हैं। उसके हारको पुलिस ने गैर कानूनी ढंग से सीज कर दिया है। निरूद्ध रहने से उसके कलपुर्जे खराब होने की आशंका है। याचना की है कि प्रश्नगत हारट्रक उपरोक्त उसके हक में अवमुक्त कर दिया जाय।

सुना एवं संबंधित उपलब्ध प्रपत्रों व थाने की आख्या का अवलोकन किया। चूंकि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल करके जुर्माना अदा कर दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त मामले का निस्तारण हो चुका है।प्रार्थी की ओर से प्रश्नगत हारट्रक उपरोक्त के सन्दर्भ पंजीयन प्रमाणपत्र की छाया प्रति मय असल के दाखिल की गयी हैं, जो वैध हैं, जिसके अनुसारप्रार्थी प्रश्नगत हारट्रक उपरोक्त का पंजीकृत स्वामी है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत वाहनप्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में सशर्त अवमुक्त किए जाने हेतु पर्याप्त आधार है।

आदेश

आवेदनप्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अतः संबंधित थानाध्यक्ष को आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत हारट्रक पंजीयन सं0–यू0पी0 32ई..एन./8382प्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में यदि एम0 वी0 एक्ट के अतिरिक्त किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो अवमुक्त कर दिया जाय।

प्रथम ए0सी0जे0एम0, बांदा
30.05.2022

न्यायालय– प्रथम ए0 सी0 जे0 एम0 बांदा

प्रकीर्ण वाद सख्या–1119/2022

सरकार बनाम कुलदीप सिंह
धारा–एम0वी0एक्ट
थाना–जसपुरा

28.04.2022

प्रार्थिया कुलदीप सिंह की ओर से धारा–एम.वी.एक्ट के तहत थाना जसपुरा जिला बांदा में निरूद्ध हारआटो पंजीयन सं0–यू0पी0 90टी./2205 को अपने हक में अवमुक्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि वह प्रश्नगत हारका पंजीकृत स्वामी है। उसके हारके सभी कागजात वैध हैं। उसके हारको गैर कानूनी ढंग से सीज कर दिया गया है। निरूद्ध रहने से उसके कलपुर्जे खराब होने की आशंका है। याचना की है कि प्रश्नगत हारआटो उपरोक्त उसके हक में अवमुक्त कर दिया जाय।

सुना एवं संबंधित उपलब्ध प्रपत्रों व थाने की आख्या का अवलोकन किया। चूंकि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल करके जुर्माना अदा कर दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त मामले का निस्तारण हो चुका है।प्रार्थी की ओर से प्रश्नगत हारउपरोक्त के सन्दर्भ पंजीयन एवं परमिट प्रमाणपत्र की छाया प्रति मय असल के दाखिल की गयी हैं, जो वैध हैं, जिसके अनुसारप्रार्थी प्रश्नगत हारआटो उपरोक्त का पंजीकृत स्वामी है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत वाहनप्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में सशर्त अवमुक्त किए जाने हेतु पर्याप्त आधार है।

आदेश

आवेदनप्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अतः संबंधित थानाध्यक्ष को आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत हारआटो पंजीयन सं0–यू0पी0 90टी./2205प्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में यदि एम0 वी0 एक्ट के अतिरिक्त किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो अवमुक्त कर दिया जाय।

प्रथम ए0सी0जे0एम0, बांदा

28.04.2022

न्यायालय– प्रथम ए0 सी0 जे0 एम0 बांदा

प्रकीर्ण वाद सख्या–951/2022

सरकार बनाम श्रीमती गीता पाण्डेय
धारा–एम0वी0एक्ट
थाना–कोतवाली देहात

08.04.2022

प्रार्थिया श्रीमती गीता पाण्डेय की ओर से धारा–एम.वी.एक्ट के तहत थाना कोतवाली देहात जिला बांदा में निरूद्ध हारट्रक पंजीयन सं0–यू0पी0 32एफ.एन./0467 को अपने हक में अवमुक्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि वह प्रश्नगत हारका पंजीकृत स्वामी है। उसके हारके सभी कागजात वैध हैं। उसके हारको पुलिस ने गैर कानूनी ढंग से सीज कर दिया है। निरूद्ध रहने से उसके कलपुर्जे खराब होने की आशंका है। याचना की है कि प्रश्नगत हारट्रक उपरोक्त उसके हक में अवमुक्त कर दिया जाय।

सुना एवं संबंधित उपलब्ध प्रपत्रों व थाने की आख्या का अवलोकन किया। चूंकि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल करके जुर्माना अदा कर दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त मामले का निस्तारण हो चुका है।प्रार्थी की ओर से प्रश्नगत हारट्रक उपरोक्त के सन्दर्भ पंजीयन प्रमाणपत्र की छाया प्रति मय असल के दाखिल की गयी हैं, जो वैध हैं, जिसके अनुसारप्रार्थी प्रश्नगत हारट्रक उपरोक्त का पंजीकृत स्वामी है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत वाहनप्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में सशर्त अवमुक्त किए जाने हेतु पर्याप्त आधार है।

आदेश

आवेदनप्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अतः संबंधित थानाध्यक्ष को आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत हारट्रक पंजीयन सं0–यू0पी0 32एफ.एन. /0467प्रार्थी/पंजीकृत स्वामिनी के हक में यदि एम0 वी0 एक्ट के अतिरिक्त किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो अवमुक्त कर दिया जाय।

प्रथम ए0सी0जे0एम0, बांदा

08.04.2022

न्यायालय– प्रथम ए0 सी0 जे0 एम0 बांदा

प्रकीर्ण वाद सख्या–873/2022

सरकार बनाम आशीष त्रिपाठी
धारा–एम0वी0एक्ट
थाना–चिल्ला

30.03.2022

प्रार्थिया आशीष त्रिपाठी की ओर से धारा–एम.वी.एक्ट के तहत थाना चिल्ला जिला बांदा में निरूद्ध हारट्रक पंजीयन सं0–यू0पी0 33ए.टी./6884 को अपने हक में अवमुक्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि वह प्रश्नगत हारका पंजीकृत स्वामी है। उसके हारके सभी कागजात वैध हैं। उसके हारको पुलिस ने गैर कानूनी ढंग से सीज कर दिया है। निरूद्ध रहने से उसके कलपुर्जे खराब होने की आशंका है। याचना की है कि प्रश्नगत हारट्रक उपरोक्त उसके हक में अवमुक्त कर दिया जाय।

सुना एवं संबंधित उपलब्ध प्रपत्रों व थाने की आख्या का अवलोकन किया। चूंकि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल करके जुर्माना अदा कर दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त मामले का निस्तारण हो चुका है।प्रार्थी की ओर से प्रश्नगत हारट्रक उपरोक्त के सन्दर्भ पंजीयन प्रमाणपत्र की छाया प्रति मय असल के दाखिल की गयी हैं, जो वैध हैं, जिसके अनुसारप्रार्थी प्रश्नगत हारट्रक उपरोक्त का पंजीकृत स्वामी है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत वाहनप्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में सशर्त अवमुक्त किए जाने हेतु पर्याप्त आधार है।

आदेश

आवेदनप्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अतः संबंधित थानाध्यक्ष को आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत हारट्रक पंजीयन सं0–यू0पी0 33ए.टी./6848 प्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में यदि एम0 वी0 एक्ट के अतिरिक्त किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो अवमुक्त कर दिया जाय।

प्रथम ए0सी0जे0एम0, बांदा

30.03.2022

न्यायालय– प्रथम ए0 सी0 जे0 एम0 बांदा

प्रकीर्ण वाद सख्या–651/2022

सरकार बनाम जगमोहन सिंह
धारा–एम0वी0एक्ट
थाना–नरैनी

15.03.2022

प्रार्थिया जगमोहन सिंह की ओर से धारा–एम.वी.एक्ट के तहत थाना नरैनी जिला बांदा में निरूद्ध हारट्रक पंजीयन सं0–एम0पी0 19एच.ए./3944 को अपने हक में अवमुक्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि वह प्रश्नगत हारका पंजीकृत स्वामी है। उसके हारके सभी कागजात वैध हैं। उसके हारको पुलिस ने गैर कानूनी ढंग से सीज कर दिया है। निरूद्ध रहने से उसके कलपुर्जे खराब होने की आशंका है। याचना की है कि प्रश्नगत हारट्रक उसके हक में अवमुक्त कर दिया जाय।

सुना एवं संबंधित उपलब्ध प्रपत्रों व थाने की आख्या का अवलोकन किया। चूंकि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल करके जुर्माना अदा कर दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त मामले का निस्तारण हो चुका है।प्रार्थी की ओर से प्रश्नगत हारट्रक उपरोक्त के सन्दर्भ पंजीयन, बीमा, प्रदूषण एवं डी.एलप्रमाणपत्र की छाया प्रति मय असल के दाखिल की गयी हैं, जो वैध हैं, जिसके अनुसारप्रार्थी प्रश्नगत हारट्रक उपरोक्त का पंजीकृत स्वामी है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत हारट्रकप्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में सशर्त अवमुक्त किए जाने हेतु पर्याप्त आधार है।

आदेश

आवेदनप्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अतः संबंधित थानाध्यक्ष को आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत हार ट्रक पंजीयन सं0–एम0पी0 19एच.ए./3944प्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में यदि एम0 वी0 एक्ट के अतिरिक्त किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो अवमुक्त कर दिया जाय।

प्रथम ए0सी0जे0एम0, बांदा
15.03.2022

न्यायालय– प्रथम ए0 सी0 जे0 एम0 बांदा

प्रकीर्ण वाद सख्या–833/2022

सरकार बनाम इरफान अली
धारा–एम0वी0एक्ट
थाना–पैलानी

28.03.2022

प्रार्थिया इरफान अली की ओर से धारा–एम.वी.एक्ट के तहत थाना पैलानी जिला बांदा में निरूद्ध हारटैम्पो पंजीयन सं0–यू0पी0 90टी./3239 को अपने हक में अवमुक्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि वह प्रश्नगत हारका पंजीकृत स्वामी है। उसके हारके सभी कागजात वैध हैं। उसके हारको पुलिस ने गैर कानूनी ढंग से सीज कर दिया है। निरूद्ध रहने से उसके कलपुर्जे खराब होने की आशंका है। याचना की है कि प्रश्नगत हारउसके हक में अवमुक्त कर दिया जाय।

सुना एवं संबंधित उपलब्ध प्रपत्रों व थाने की आख्या का अवलोकन किया। चूंकि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल करके जुर्माना अदा कर दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त मामले का निस्तारण हो चुका है।प्रार्थी की ओर से प्रश्नगत हारउपरोक्त के सन्दर्भ पंजीयन एवं परमिट प्रमाणपत्र की छाया प्रति मय असल के दाखिल की गयी हैं, जो वैध हैं, जिसके अनुसारप्रार्थी प्रश्नगत हारटैम्पो उपरोक्त का पंजीकृत स्वामी है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत हारटैम्पोप्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में सशर्त अवमुक्त किए जाने हेतु पर्याप्त आधार है।

आदेश

आवेदनप्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अतः संबंधित थानाध्यक्ष पैलानी को आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत हारटैम्पो पंजीयन सं0–यू0पी0 90टी./3239प्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में यदि एम0 वी0 एक्ट के अतिरिक्त किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो अवमुक्त कर दिया जाय।

प्रथम ए0सी0जे0एम0, बांदा

28.03.2022

न्यायालय– प्रथम ए0 सी0 जे0 एम0 बांदा

प्रकीर्ण वाद सख्या–494/2022

सरकार	बनाम	तुलसीदास
		धारा–एम0वी0एक्ट
		थाना–कोतवाली देहात

07.03.2022

प्रार्थिया तुलसीदास की ओर से धारा–एम.वी.एक्ट के तहत थाना कोतवाली देहात जिला बांदा में निरूद्ध हारमेगा मैक्स आटो रिक्शा पंजीयन सं0–यू0पी0 90ई./9177 को अपने हक में अवमुक्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि वह प्रश्नगत हारका पंजीकृत स्वामी है। उसके हारके सभी कागजात वैध हैं। उसके हारको पुलिस ने गैर कानूनी ढंग से सीज कर दिया है। निरूद्ध रहने से उसके कलपुर्जे खराब होने की आशंका है। याचना की है कि प्रश्नगत हारमेगा मैक्स आटो रिक्शा उपरोक्त उसके हक में अवमुक्त कर दिया जाय।

सुना एवं संबंधित उपलब्ध प्रपत्रों व थाने की आख्या का अवलोकन किया। चूंकि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल करके जुर्माना अदा कर दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त मामले का निस्तारण हो चुका है।प्रार्थी की ओर से प्रश्नगत हारउपरोक्त के सन्दर्भ पंजीयन प्रमाणपत्र की छाया प्रति मय असल के दाखिल की गयी हैं, जो वैध हैं, जिसके अनुसारप्रार्थी प्रश्नगत हारउपरोक्त का पंजीकृत स्वामी है। ऐसी

स्थिति में प्रश्नगत हारमेगा मैक्स आटो रिक्शाप्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में सशर्त अवमुक्त किए जाने हेतु पर्याप्त आधार है।

आदेश

आवेदनप्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अतः संबंधित थानाध्यक्ष कोतवाली देहात को आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत हारमेगा मैक्स आटो रिक्शा पंजीयन सं0–यू0पी0 90ई./9177 कोप्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में यदि एम0 वी0 एक्ट के अतिरिक्त किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो अवमुक्त कर दिया जाय।

प्रथम ए0सी0जे0एम0, बांदा
07.03.2022

न्यायालय–प्रथम ए0 सी0 जे0 एम0 बांदा
मुकदमा नंबर– /2021

सरकार बनाम लालबक्स
थाना–बदौसा

11.02.2022

आवेदक लाल बक्स पुत्र बाबू खॉ निवासी ग्राम भैसौन्धा बगलई थाना कर्वी जिला चित्रकूट की ओर से लावारिस हालत में थाना बदौसा जिला बांदा में निरूद्ध हारट्रेक्टर इंजन स0–SJ327B16175 एवं चेचिस सं0–MEAOAD05GM2373800 को अपने हक में अवमुक्त किए जाने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि वह प्रश्नगत हारका पंजीकृत स्वामी है और उसके हारके सभी कागजात वैध हैं। उसके हारको थाना बदौसा की पुलिस ने लावारिस हालत में गैर कानूनी ढंग से सीज कर दिया है। निरूद्ध रहने से उसके खराब होने की आशंका है। याचना की है कि प्रश्नगत हारट्रेक्टर उपरोक्त उसके हक में अवमुक्त कर दिया जाय।

प्रार्थनापत्र पर सुना एवं संबंधित उपलब्ध समस्त प्रपत्रों व थाने की आख्या का अवलोकन किया गया।

प्रार्थनापत्र पर पुलिस थाना बदौसा से यह रिपोर्ट प्राप्त हुयी है कि ट्रेक्टर इंजन स0–SJ327B16175 एवं चेचिस सं0–MEAOAD05GM2373800 थाना हाजा

पर उपनिरीक्षक श्री सुधीर सिंह प्रभारी चौकी चमेहटा थाना बदौसा जनपद बांदा द्वारा थाना स्थानीय पर रपट सं0–29 समय 15:43 दिनांकित 19.01..2022 को लावारिस हालत में थाना हाजा पर दाखिल है।

आवेदक की ओर से प्रश्नगत हारट्रेक्टर इंजन स0–SJ327B16175 एवं चेचिस सं0–MEAOAD05GM2373800 उपरोक्त के स्वामित्व के संबंध में सेल लेटर एवं बीमा प्रमाणपत्र दाखिल किए गए हैं जो वैध है, जिसके अनुसारप्रार्थी लाल बख्स का नाम केता/स्वामी के रूप में दर्ज है।

आवेदक प्रश्नगत हारका पंजीकृत स्वामी है और हारथाना कोतवाली नगर बांदा में लावारिस हालत में दाखिल है। **मान्नीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था डी0एस0पाण्डेय बनाम राजेन्द्र प्रसाद सिंह और अन्य किमिनल मिसलेनियस अपलीकेशन नंबर–9598/1986** में मान्नीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि कोई लावारिस प्रापर्टी किसी अपराध संख्या से संबंधित नहीं है तब भी फौजदारी न्यायालय को उसके स्वामी के पक्ष में रिलीज किए जाने का क्षेत्राधिकार है।

अतः उपलब्ध तथ्यों को देखते हुए आवेदक का प्रार्थनापत्र निम्न शर्तो के साथ स्वीकार किए जाने योग्य है।

1. आवेदक द्वारा मुबलिग **छः लाख रूपये** का व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल किया जाए।

2. आवेदक द्वारा इस आशय की अण्डर टेकिंग प्रस्तुत की जाए कि वह प्रश्नगत हारट्रेक्टर उपरोक्त को न्यायालय द्वारा तलब किए जाने पर स्वयं के व्यय पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा तथा किसी अन्य को हस्तान्तरित नहीं करेगा और प्रश्नगत ट्रेक्टर का एक माह के अन्दर पंजीयन कराकर उसकी छाया प्रति न्यायालय में दाखिल करेगा।

3. संबंधित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत हारट्रेक्टर उपरोक्त यदि किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो उसे उसकेप्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के पक्ष में नियमानुसार र्निमुक्त कर दिया जाए। आदेश की प्रति संबंधित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को अनुपालनार्थ प्रेषित की जाए।

प्रथम ए0 सी. जे. एम. बांदा

न्यायालय–प्रथम ए0 सी0 जे0 एम0 बांदा

मुकदमा नंबर–1222/2021

सरकार बनाम वीरेन्द्र यादव

अपराध सं0–65/2017

धारा–379,411भा0दं0सं0 व 4/21 खनिज अधि0 व धारा–3/5 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम

थाना–नरैनी

11.02.2022

आवेदिका श्रीमती उत्तरा पटेल पत्नी पप्पू पटेल निवासी ग्राम बरौली आजम थाना बिसण्डा जिला बांदा की ओर से लावारिस हालत में थाना नरैनी जिला बांदा में निरूद्ध हारट्रेक्टर पंजीयन संख्या–यू0पी090ई/4636 व इंजन स0–S3090111485 एवं चेचिस सं0–S3090111485 को अपने हक में अवमुक्त किए जाने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि उसके पति पप्पू पटेल की मृत्यु दिनांक 29.12.2012 को हो गयी थी और वह ही प्रश्नगत हारके पंजीकृत स्वामी है और वह उनकी मृत्यु के बाद तनहा वारिस है तथा जानकारी के अभाव में प्रश्नगत हारथाने में खडा है। उसके हारके सभी कागजात वैध हैं। उसके हारको थाना नरैनी की पुलिस ने लावारिस हालत में गैर कानूनी ढंग से सीज कर दिया है। निरूद्ध रहने से उसके खराब होने की आशंका है। याचना की है कि प्रश्नगत हारट्रेक्टर उपरोक्त उसके हक में अवमुक्त कर दिया जाय।

प्रार्थनापत्र पर सुना एवं संबंधित उपलब्ध समस्त प्रपत्रों व थाने की आख्या का अवलोकन किया गया।

प्रार्थनापत्र पर पुलिस थाना नरैनी से यह रिपोर्ट प्राप्त हुयी है कि ट्रेक्टर पंजीयन संख्या–यू0पी090ई/4636 व इंजन स0–S3090111485 एवं चेचिस सं0–S3090111485 थाना हाजा पर उपनिरीक्षक श्री सुधीर सिंह प्रभारी चौकी चमेहटा थाना बदौसा जनपद बांदा द्वारा थाना स्थानीय पर रपट सं0–29 समय 15:43 दिनांकित 19.01..2022 को लावारिस हालत में थाना हाजा पर दाखिल है।

आवेदक की ओर से प्रश्नगत हारट्रेक्टर इंजन स0–SJ327B16175 एवं चेचिस सं0–MEAOAD05GM2373800 उपरोक्त के स्वामित्व के संबंध में सेल लेटर एवं बीमा प्रमाणपत्र दाखिल किए गए हैं जो वैध है, जिसके अनुसारप्रार्थी लाल बख्स का नाम क्रेता/स्वामी के रूप में दर्ज है।

आवेदक प्रश्नगत हारका पंजीकृत स्वामी है और हारथाना कोतवाली नगर बांदा में लावारिस हालत में दाखिल है। **माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था डी0एस0पाण्डेय बनाम राजेन्द्र प्रसाद सिंह और अन्य क्रिमिनल मिसलेनियस अपलीकेशन नंबर–9598/1986** में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि कोई लावारिस प्रापर्टी किसी अपराध संख्या से संबंधित नहीं है तब भी फौजदारी न्यायालय को उसके स्वामी के पक्ष में रिलीज किए जाने का क्षेत्राधिकार है।

अतः उपलब्ध तथ्यों को देखते हुए आवेदक का प्रार्थनापत्र निम्न शर्तो के साथ स्वीकार किए जाने योग्य है।

1. आवेदक द्वारा मुबलिग **छः लाख रूपये** का व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल किया जाए।

2. आवेदक द्वारा इस आशय की अण्डर टेकिंग प्रस्तुत की जाए कि वह प्रश्नगत हारट्रेक्टर उपरोक्त को न्यायालय द्वारा तलब किए जाने पर स्वयं के व्यय पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा तथा किसी अन्य को हस्तान्तरित नहीं करेगा और प्रश्नगत ट्रेक्टर का एक माह के अन्दर पंजीयन कराकर उसकी छाया प्रति न्यायालय में दाखिल करेगा।

3. संबंधित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत हारट्रेक्टर उपरोक्त यदि किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो उसे उसकेप्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के पक्ष में नियमानुसार र्निमुक्त कर दिया जाए। आदेश की प्रति संबंधित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को अनुपालनार्थ प्रेषित की जाए।

प्रथम ए0 सी. जे. एम. बांदा

न्यायालय–सी0 जे0 एम0 बांदा

मुकदमा नंबर– /2021

सरकार बनाम अज्ञात

थाना–कोतवाली नरैनी

09.02.2022

आवेदक अमनदीप पुत्र सुरेन्द्र कुमार निवासी मोहल्ला किदवई नगर नरैनी जिला बांदा की ओर से लावारिस हालत में थाना कोतवाली नरैनी जिला बांदा में निरूद्ध हारमोटर साइकिल पंजीयन स0–यू0पी090यू0/9091 को अपने हक में अवमुक्त किए जाने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि वह प्रश्नगत हारका पंजीकृत स्वामी है और उसके हारके सभी कागजात वैध हैं। उसके हारको थाना कोतवाली नरैनी की पुलिस ने लावारिस हालत में गैर कानूनी ढंग से सीज कर दिया है। निरूद्ध रहने से उसके खराब होने की आशंका है। याचना की है कि प्रश्नगत हारमोटर साइकिल उपरोक्त उसके हक में अवमुक्त कर दिया जाय।

प्रार्थनापत्र पर सुना एवं संबंधित उपलब्ध समस्त प्रपत्रों व थाने की आख्या का अवलोकन किया गया।

प्रार्थनापत्र पर पुलिस थाना कोतवाली नरैनी से यह रिपोर्ट प्राप्त हुयी है कि थाना स्थानीय पर मोटर साइकिल पंजीयन स0–यू0पी090यू./9091 को लावारिस हालत में थाना हाजा पर दाखिल है।

आवेदक की ओर से प्रश्नगत हारमोटर साइकिल उपरोक्त के स्वामित्व के संबंध में पंजीयन प्रमाणपत्र दाखिल किया गया हैं जो वैध है, जिसके अनुसारप्रार्थी अमनदीप का नाम पंजीकृत स्वामी के रूप में दर्ज है।

आवेदक प्रश्नगत हारका पंजीकृत स्वामी है और हारथाना कोतवाली नरैनी में लावारिस हालत में दाखिल है। **मान्नीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था डी0एस0पाण्डेय बनाम राजेन्द्र प्रसाद सिंह और अन्य किमिनल मिसलेनियस अपलीकेशन नंबर–9598/1986** में मान्नीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि कोई लावारिस प्रापर्टी किसी अपराध संख्या से संबंधित नहीं है तब भी फौजदारी न्यायालय को उसके स्वामी के पक्ष में रिलीज किए जाने का क्षेत्राधिकार है।

अतः उपलब्ध तथ्यों को देखते हुए आवेदक का प्रार्थनापत्र निम्न शर्तो के साथ स्वीकार किए जाने योग्य है।

1. आवेदक द्वारा मुबलिग **एक लाख रूपये** का व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल किया जाए।

2. आवेदक द्वारा इस आशय की अण्डर टेकिंग प्रस्तुत की जाए कि वह प्रश्नगत हारको न्यायालय द्वारा तलब किए जाने पर स्वयं के व्यय पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

3. संबंधित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत हारमोटर साइकिल यदि किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो उसे उसकेप्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के पक्ष में नियमानुसार र्निमुक्त कर दिया जाए। आदेश की प्रति संबंधित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को अनुपालनार्थ प्रेषित की जाए।

प्रभारी सी. जे. एम. बांदा

न्यायालय– प्रथम ए0 सी0 जे0 एम0 बांदा

प्रकीर्ण वाद सख्या–331/2022

सरकार बनाम गुलाब सिंह मौर्या
धारा–एम0वी0एक्ट
थाना–चिल्ला

02.03.2022

प्रार्थिया गुलाब सिंह मौर्या की ओर से धारा–एम.वी.एक्ट के तहत थाना चिल्ला जिला बांदा में निरूद्ध हारट्रक पंजीयन सं0–यू0पी0 71टी./6681 को अपने हक में अवमुक्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि वह प्रश्नगत हारका पंजीकृत स्वामी है। उसके हारके सभी कागजात वैध हैं। उसके हारको पुलिस ने गैर कानूनी ढंग से सीज कर दिया है। निरूद्ध रहने से उसके कलपुर्जे खराब होने की आशंका है। याचना की है कि प्रश्नगत हारट्रक उसके हक में अवमुक्त कर दिया जाय।

सुना एवं संबंधित उपलब्ध प्रपत्रों व थाने की आख्या का अवलोकन किया। चूंकि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल करके जुर्माना अदा कर दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त मामले का निस्तारण हो चुका है।प्रार्थी की ओर से प्रश्नगत हारउपरोक्त के सन्दर्भ पंजीयन प्रमाणपत्र की छाया प्रति मय असल के दाखिल की गयी हैं, जो वैध हैं, जिसके अनुसारप्रार्थी प्रश्नगत हारट्रक उपरोक्त का पंजीकृत स्वामी

है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत हारट्रकप्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में सशर्त अवमुक्त किए जाने हेतु पर्याप्त आधार है।

आदेश

आवेदनप्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अतः संबंधित थानाध्यक्ष चिल्ला को आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत हारट्रक पंजीयन सं0–यू0पी0 71टी./6681प्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में यदि एम0 वी0 एक्ट के अतिरिक्त किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो अवमुक्त कर दिया जाय।

प्रथम ए0सी0जे0एम0, बांदा

02.03.2022

न्यायालय– प्रथम ए0 सी0 जे0 एम0 बांदा

प्रकीर्ण वाद सख्या–284/2022

सरकार बनाम बद्री प्रसाद गुप्ता
धारा–एम0वी0एक्ट
थाना–मटौंध

21.02.2022

प्रार्थिया बद्री प्रसाद गुप्ता की ओर से धारा–एम.वी.एक्ट के तहत थाना मटौंध जिला बांदा में निरूद्ध हारटाटा मैजिक लोडर पंजीयन सं0–यू0पी0 90बी./9816 को अपने हक में अवमुक्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि वह प्रश्नगत हारका पंजीकृत स्वामी है। उसके हारके सभी कागजात वैध हैं। उसके हारको पुलिस ने गैर कानूनी ढंग से सीज कर दिया है। निरूद्ध रहने से उसके कलपुर्जे खराब होने की आशंका है। याचना की है कि प्रश्नगत हारटाटा मैजिक लोडर उपरोक्त उसके हक में अवमुक्त कर दिया जाय।

सुना एवं संबंधित उपलब्ध प्रपत्रों व थाने की आख्या का अवलोकन किया। चूंकि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल करके जुर्माना अदा कर दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त मामले का निस्तारण हो चुका है।प्रार्थी की ओर से प्रश्नगत हारउपरोक्त के सन्दर्भ पंजीयन, परमिट एवं टैक्स रसीद प्रमाणपत्र की छाया प्रति मय असल के दाखिल की गयी हैं, जो वैध हैं, जिसके अनुसारप्रार्थी प्रश्नगत हारउपरोक्त का

पंजीकृत स्वामी है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत वाहनप्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में सशर्त अवमुक्त किए जाने हेतु पर्याप्त आधार है।

आदेश

आवेदनप्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अतः संबंधित थानाध्यक्ष मटौंध को आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत हारटाटा मैजिक लोडर पंजीयन सं0–यू0पी0 90बी./9816प्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में यदि एम0 वी0 एक्ट के अतिरिक्त किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो अवमुक्त कर दिया जाय।

प्रथम ए0सी0जे0एम0, बांदा

21.02.2022

न्यायालय– प्रथम ए0 सी0 जे0 एम0 बांदा

प्रकीर्ण वाद सख्या–212/2022

सरकार बनाम अहमद अली
धारा–एम0वी0एक्ट
थाना–तिन्दवारी

14.02.2022

प्रार्थिया अहमद अली की ओर से धारा–एम.वी.एक्ट के तहत थाना तिन्दवारी जिला बांदा में निरूद्ध हारआटो रिक्शा पंजीयन सं0–यू0पी0 90टी./3183 को अपने हक में अवमुक्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि वह प्रश्नगत हारका पंजीकृत स्वामी है और उसके हारके सभी कागजात वैध हैं। उसके हारको पुलिस ने गैर कानूनी ढंग से सीज कर दिया है। निरूद्ध रहने से उसके खराब होने की आशंका है। याचना की है कि प्रश्नगत हारआटो रिक्शा उसके हक में अवमुक्त कर दिया जाय।

सुना एवं संबंधित उपलब्ध प्रपत्रों व थाने की आख्या का अवलोकन किया। चूंकि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल करके जुर्माना अदा कर दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त मामले का निस्तारण हो चुका है।प्रार्थी की ओर से प्रश्नगत हारउपरोक्त के सन्दर्भ में पंजीयन प्रमाणपत्रं की छाया प्रति मय असल के दाखिल की गयी हैं, जो वैध हैं, जिसके अनुसारप्रार्थी प्रश्नगत हारउपरोक्त का पंजीकृत स्वामी

है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत हारआटो रिक्शाप्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में सशर्त अवमुक्त किए जाने हेतु पर्याप्त आधार है।

आदेश

आवेदनप्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अतः संबंधित थानाध्यक्ष तिन्दवारी को आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत हारआटो रिक्शा पंजीयन सं0—यू0पी0 90टी./3183प्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में यदि एम0 वी0 एक्ट के अतिरिक्त किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो अवमुक्त कर दिया जाय।

प्रथम ए0सी0जे0एम0, बांदा

14.02.2022

न्यायालय— प्रथम ए0 सी0 जे0 एम0 बांदा

प्रकीर्ण वाद सख्या—201/2022

सरकार बनाम रामचरित्र तिवारी

धारा—एम0वी0एक्ट

थाना—चिल्ला, जिला बांदा

14.02.2022

प्रार्थिया रामचरित्र तिवारी की ओर से धारा—एम.वी.एक्ट के तहत थाना चिल्ला जिला बांदा में निरूद्ध हारट्रक पंजीयन सं0—यू0पी0 42बी.टी./2737 को अपने हक में अवमुक्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि वह प्रश्नगत हारट्रक का पंजीकृत स्वामी है और उसके हारके सभी कागजात वैध हैं। उसके हारको पुलिस ने गैर कानूनी ढंग से सीज कर दिया है। निरूद्ध रहने से उसके खराब होने की आशंका है। याचना की है कि प्रश्नगत हारट्रक उसके हक में अवमुक्त कर दिया जाय।

सुना एवं संबंधित उपलब्ध प्रपत्रों व थाने की आख्या का अवलोकन किया। चूंकि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल करके जुर्माना अदा कर दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त मामले का निस्तारण हो चुका है।प्रार्थी की ओर से प्रश्नगत हारउपरोक्त के सन्दर्भ पंजीयन, प्रदूषण, फिटनेस, परमिट एवं बीमा प्रमाणपत्रों की छाया प्रतियां मय असल के दाखिल की गयी हैं, जो वैध हैं, जिसके अनुसारप्रार्थी प्रश्नगत

हारउपरोक्त का पंजीकृत स्वामी है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत वाहनप्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में सशर्त अवमुक्त किए जाने हेतु पर्याप्त आधार है।

आदेश

आवेदनप्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अतः संबंधित थानाध्यक्ष चिल्ला को आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत हारट्रक पंजीयन सं0–यू0पी0 42बी.टी./2737प्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में यदि एम0 वी0 एक्ट के अतिरिक्त किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो अवमुक्त कर दिया जाय।

प्रथम ए0सी0जे0एम0, बांदा

14.02.2022

न्यायालय– प्रथम ए0 सी0 जे0 एम0 बांदा

प्रकीर्ण वाद सख्या–3175/2021

सरकार बनाम श्रीमती गिरजेश कुमारी
धारा–एम0वी0एक्ट
थाना–चिल्ला, जिला बांदा

14.12.2021

प्रार्थिया शेराजुद्दीन अली बक्स की ओर से धारा–एम.वी.एक्ट के तहत थाना चिल्ला जिला बांदा में निरूद्ध हारट्रक पंजीयन सं0–यू0पी0 77ए.एन./3155 को अपने हक में अवमुक्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि वह प्रश्नगत हारट्रक का पंजीकृत स्वामी है और उसके हारके सभी कागजात वैध हैं। उसके हारको पुलिस ने गैर कानूनी ढंग से सीज कर दिया है। निरूद्ध रहने से उसके खराब होने की आशंका है। याचना की है कि प्रश्नगत हारट्रक उसके हक में अवमुक्त कर दिया जाय।

सुना एवं संबंधित उपलब्ध प्रपत्रों व थाने की आख्या का अवलोकन किया। चूंकि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल करके जुर्माना अदा कर दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त मामले का निस्तारण हो चुका है।प्रार्थी की ओर से प्रश्नगत हारउपरोक्त के सन्दर्भ पंजीयन, परमिट एवं बीमा प्रमाणपत्रों की छाया प्रतियां मय असल के दाखिल की गयी हैं, जो वैध हैं, जिसके अनुसारप्रार्थी प्रश्नगत हारउपरोक्त का

पंजीकृत स्वामी है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत वाहनप्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में सशर्त अवमुक्त किए जाने हेतु पर्याप्त आधार है।

आदेश

आवेदनप्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अतः संबंधित थानाध्यक्ष चिल्ला को आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत हारट्रक पंजीयन सं0–यू0पी0 77ए.एन./3155प्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में यदि एम0 वी0 एक्ट के अतिरिक्त किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो अवमुक्त कर दिया जाय।

प्रथम ए0सी0जे0एम0, बांदा
14.12.2021

न्यायालय– प्रथम ए0 सी0 जे0 एम0 बांदा

प्रकीर्ण वाद सख्या–3014/2021

सरकार बनाम अभिमन्यु सिंह
धारा–एम0वी0एक्ट
थाना–चिल्ला, जिला बांदा

01.12.2021

प्रार्थिया अभिमन्यु सिंह की ओर से धारा–एम.वी.एक्ट के तहत थाना चिल्ला जिला बांदा में निरूद्ध हारट्रक पंजीयन सं0–यू0पी0 71ए.टी./8422 को अपने हक में अवमुक्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि वह प्रश्नगत हारट्रक का पंजीकृत स्वामी है और उसके हारके सभी कागजात वैध हैं। उसके हारको पुलिस ने गैर कानूनी ढंग से सीज कर दिया है। निरूद्ध रहने से उसके खराब होने की आशंका है। याचना की है कि प्रश्नगत हारट्रक उसके हक में अवमुक्त कर दिया जाय।

सुना एवं संबंधित उपलब्ध प्रपत्रों व थाने की आख्या का अवलोकन किया। चूंकि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल करके जुर्माना अदा कर दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त मामले का निस्तारण हो चुका है।प्रार्थी की ओर से प्रश्नगत हारउपरोक्त के सन्दर्भ पंजीयन एवं बीमा प्रमाणपत्रों की छाया प्रतियां मय असल के दाखिल की गयी हैं, जो वैध हैं, जिसके अनुसारप्रार्थी प्रश्नगत हारउपरोक्त का पंजीकृत

स्वामी है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत वाहनप्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में सशर्त अवमुक्त किए जाने हेतु पर्याप्त आधार है।

आदेश

आवेदनप्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अतः संबंधित थानाध्यक्ष चिल्ला बांदा को आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत हारट्रक पंजीयन सं0–यू0पी0 71ए.टी./8422प्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में यदि एम0 वी0 एक्ट के अतिरिक्त किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो अवमुक्त कर दिया जाय।

प्रथम ए0सी0जे0एम0, बांदा

01.12.2021

न्यायालय– प्रथम ए0 सी0 जे0 एम0 बांदा

प्रकीर्ण वाद सख्या–3010/2021

सरकार बनाम अजय प्रताप सिंह
धारा–एम0वी0एक्ट
थाना–चिल्ला, जिला बांदा

01.12.2021

प्रार्थिया अजय प्रताप सिंह की ओर से धारा–एम.वी.एक्ट के तहत थाना चिल्ला जिला बांदा में निरूद्ध हारट्रक पंजीयन सं0–यू0पी0 33ए.टी./9237 को अपने हक में अवमुक्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि वह प्रश्नगत हारट्रक का पंजीकृत स्वामी है और उसके हारके सभी कागजात वैध हैं। उसके हारको पुलिस ने गैर कानूनी ढंग से सीज कर दिया है। निरूद्ध रहने से उसके खराब होने की आशंका है। याचना की है कि प्रश्नगत हारट्रक उसके हक में अवमुक्त कर दिया जाय।

सुना एवं संबंधित उपलब्ध प्रपत्रों व थाने की आख्या का अवलोकन किया। चूंकि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल करके जुर्माना अदा कर दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त मामले का निस्तारण हो चुका है।प्रार्थी की ओर से प्रश्नगत हारउपरोक्त के सन्दर्भ पंजीयन प्रमाणपत्र की छाया प्रति मय असल के दाखिल की गयी हैं, जो वैध हैं, जिसके अनुसारप्रार्थी प्रश्नगत हारउपरोक्त का पंजीकृत स्वामी है। ऐसी

स्थिति में प्रश्नगत वाहनप्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में सशर्त अवमुक्त किए जाने हेतु पर्याप्त आधार है।

आदेश

आवेदनप्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अतः संबंधित थानाध्यक्ष चिल्ला बांदा को आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत हारट्रक पंजीयन सं0–यू0पी0 33ए.टी./9237प्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में यदि एम0 वी0 एक्ट के अतिरिक्त किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो अवमुक्त कर दिया जाय।

प्रथम ए0सी0जे0एम0, बांदा

01.12.2021

न्यायालय– प्रथम ए0 सी0 जे0 एम0 बांदा

प्रकीर्ण वाद सख्या–3007/2021

सरकार बनाम मिथलेश कुमार शर्मा
धारा–एम0वी0एक्ट
थाना–चिल्ला, जिला बांदा

01.12.2021

प्रार्थिया मिथलेश कुमार शर्मा की ओर से धारा–एम.वी.एक्ट के तहत थाना चिल्ला जिला बांदा में निरूद्ध हारट्रक पंजीयन सं0–यू0पी0 33ए.टी./9236 को अपने हक में अवमुक्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि वह प्रश्नगत हारट्रक का पंजीकृत स्वामी है और उसके हारके सभी कागजात वैध हैं। उसके हारको पुलिस ने गैर कानूनी ढंग से सीज कर दिया है। निरूद्ध रहने से उसके खराब होने की आशंका है। याचना की है कि प्रश्नगत हारट्रक उसके हक में अवमुक्त कर दिया जाय।

सुना एवं संबंधित उपलब्ध प्रपत्रों व थाने की आख्या का अवलोकन किया। चूंकि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल करके जुर्माना अदा कर दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त मामले का निस्तारण हो चुका है।प्रार्थी की ओर से प्रश्नगत हारउपरोक्त के सन्दर्भ पंजीयन प्रमाणपत्रं की छाया प्रति मय असल के दाखिल की गयी हैं, जो वैध हैं, जिसके अनुसारप्रार्थी प्रश्नगत हारउपरोक्त का पंजीकृत स्वामी है। ऐसी

स्थिति में प्रश्नगत वाहनप्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में सशर्त अवमुक्त किए जाने हेतु पर्याप्त आधार है।

आदेश

आवेदनप्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अतः संबंधित थानाध्यक्ष चिल्ला बांदा को आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत हारट्रक पंजीयन सं0–यू0पी0 33ए.टी./9236प्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में यदि एम0 वी0 एक्ट के अतिरिक्त किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो अवमुक्त कर दिया जाय।

प्रथम ए0सी0जे0एम0, बांदा
01.12.2021

न्यायालय– प्रथम ए0 सी0 जे0 एम0 बांदा

प्रकीर्ण वाद सख्या–3006/2021

सरकार बनाम अंकित सिंह
धारा–एम0वी0एक्ट
थाना–पैलानी, जिला बांदा

01.12.2021

प्रार्थिया अंकित सिंह की ओर से धारा–एम.वी.एक्ट के तहत थाना पैलानी जिला बांदा में निरूद्ध हारट्रक पंजीयन सं0–यू0पी0 71टी./5437 को अपने हक में अवमुक्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि वह प्रश्नगत हारट्रक का पंजीकृत स्वामी है और उसके हारके सभी कागजात वैध हैं। उसके हारको पुलिस ने गैर कानूनी ढंग से सीज कर दिया है। निरूद्ध रहने से उसके खराब होने की आशंका है। याचना की है कि प्रश्नगत हारट्रक उसके हक में अवमुक्त कर दिया जाय।

सुना एवं संबंधित उपलब्ध प्रपत्रों व थाने की आख्या का अवलोकन किया। चूंकि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल करके जुर्माना अदा कर दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त मामले का निस्तारण हो चुका है।प्रार्थी की ओर से प्रश्नगत हारउपरोक्त के सन्दर्भ पंजीयन प्रमाणपत्रं की छाया प्रति मय असल के दाखिल की गयी हैं, जो वैध हैं, जिसके अनुसारप्रार्थी प्रश्नगत हारउपरोक्त का पंजीकृत स्वामी है। ऐसी

स्थिति में प्रश्नगत वाहनप्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में सशर्त अवमुक्त किए जाने हेतु पर्याप्त आधार है।

आदेश

आवेदनप्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अतः संबंधित थानाध्यक्ष पैलानी बांदा को आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत हारट्रक पंजीयन सं0–यू0पी0 71टी./5437प्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में यदि एम0 वी0 एक्ट के अतिरिक्त किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो अवमुक्त कर दिया जाय।

प्रथम ए0सी0जे0एम0, बांदा
01.12.2021

न्यायालय– प्रथम ए0 सी0 जे0 एम0 बांदा

प्रकीर्ण वाद सख्या–3015/2021

सरकार बनाम शमसेर बहादुर सिंह
धारा–एम0वी0एक्ट
थाना–पैलानी, जिला बांदा

01.12.2021

प्रार्थिया शमसेर बहादुर सिंह की ओर से धारा–एम.वी.एक्ट के तहत थाना पैलानी जिला बांदा में निरूद्ध हारट्रक पंजीयन सं0–यू0पी0 33ए.टी./7793 को अपने हक में अवमुक्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि वह प्रश्नगत हारट्रक का पंजीकृत स्वामी है और उसके हारके सभी कागजात वैध हैं। उसके हारको पुलिस ने गैर कानूनी ढंग से सीज कर दिया है। निरूद्ध रहने से उसके खराब होने की आशंका है। याचना की है कि प्रश्नगत हारट्रक उसके हक में अवमुक्त कर दिया जाय।

सुना एवं संबंधित उपलब्ध प्रपत्रों व थाने की आख्या का अवलोकन किया। चूंकि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल करके जुर्माना अदा कर दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त मामले का निस्तारण हो चुका है।प्रार्थी की ओर से प्रश्नगत हारउपरोक्त के सन्दर्भ पंजीयन प्रमाणपत्रं की छाया प्रति मय असल के दाखिल की गयी हैं, जो वैध हैं, जिसके अनुसारप्रार्थी प्रश्नगत हारउपरोक्त का पंजीकृत स्वामी है। ऐसी

स्थिति में प्रश्नगत वाहनप्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में सशर्त अवमुक्त किए जाने हेतु पर्याप्त आधार है।

आदेश

आवेदनप्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अतः संबंधित थानाध्यक्ष पैलानी बांदा को आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत हारट्रक पंजीयन सं0–यू0पी0 33ए.टी./7793प्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में यदि एम0 वी0 एक्ट के अतिरिक्त किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो अवमुक्त कर दिया जाय।

प्रथम ए0सी0जे0एम0, बांदा

01.12.2021

न्यायालय– प्रथम ए0 सी0 जे0 एम0 बांदा

प्रकीर्ण वाद सख्या–3013/2021

सरकार बनाम धीरेन्द्र सिंह

धारा–एम0वी0एक्ट

थाना–चिल्ला, जिला बांदा

01.12.2021

प्रार्थिया धीरेन्द्र सिंह की ओर से धारा–एम.वी.एक्ट के तहत थाना चिल्ला जिला बांदा में निरूद्ध हारट्रक पंजीयन सं0–यू0पी0 71ए.टी./0166 को अपने हक में अवमुक्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि वह प्रश्नगत हारट्रक का पंजीकृत स्वामी है और उसके हारके सभी कागजात वैध हैं। उसके हारको पुलिस ने गैर कानूनी ढंग से सीज कर दिया है। निरूद्ध रहने से उसके खराब होने की आशंका है। याचना की है कि प्रश्नगत हारट्रक उसके हक में अवमुक्त कर दिया जाय।

सुना एवं संबंधित उपलब्ध प्रपत्रों व थाने की आख्या का अवलोकन किया। चूंकि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल करके जुर्माना अदा कर दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त मामले का निस्तारण हो चुका है।प्रार्थी की ओर से प्रश्नगत हारउपरोक्त के सन्दर्भ पंजीयन एवं बीमा प्रमाणपत्रं की छाया प्रति मय असल के दाखिल की गयी हैं, जो वैध हैं, जिसके अनुसारप्रार्थी प्रश्नगत हारउपरोक्त का पंजीकृत

स्वामी है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत वाहनप्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में सशर्त अवमुक्त किए जाने हेतु पर्याप्त आधार है।

आदेश

आवेदनप्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अतः संबंधित थानाध्यक्ष चिल्ला बांदा को आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत हारट्रक पंजीयन सं0–यू0पी0 71ए.टी. /0166प्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में यदि एम0 वी0 एक्ट के अतिरिक्त किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो अवमुक्त कर दिया जाय।

प्रथम ए0सी0जे0एम0, बांदा

01.12.2021

न्यायालय– प्रथम ए0 सी0 जे0 एम0 बांदा

प्रकीर्ण वाद सख्या–3231/2021

सरकार बनाम सियाराम

धारा–एम0वी0एक्ट

थाना–बबेरू, जिला बांदा

15.12.2021

प्रार्थिया सियाराम की ओर से धारा–एम.वी.एक्ट के तहत थाना बबेरू जिला बांदा में निरूद्ध हारट्रेक्टर पंजीयन सं0–यू0पी0 71ए.एम./3992 मय ट्राली को अपने हक में अवमुक्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि वह प्रश्नगत हारट्रैक्टर का पंजीकृत स्वामी है और उसके हारके सभी कागजात वैध हैं। उसके हारको पुलिस ने गैर कानूनी ढंग से सीज कर दिया है। निरूद्ध रहने से उसके खराब होने की आशंका है। याचना की है कि प्रश्नगत हारट्रैक्टर मय ट्राली उसके हक में अवमुक्त कर दिया जाय।

सुना एवं संबंधित उपलब्ध प्रपत्रों व थाने की आख्या का अवलोकन किया। चूंकि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल करके जुर्माना अदा कर दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त मामले का निस्तारण हो चुका है।प्रार्थी की ओर से प्रश्नगत हारउपरोक्त के सन्दर्भ पंजीयन, डी0एल0 एवं बीमा प्रमाणपत्र की छाया प्रतियां मय असल के दाखिल की गयी हैं, जो वैध हैं, जिसके अनुसारप्रार्थी प्रश्नगत हारउपरोक्त का

पंजीकृत स्वामी है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत वाहनप्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में सशर्त अवमुक्त किए जाने हेतु पर्याप्त आधार है।

आदेश

आवेदनप्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अतः संबंधित थानाध्यक्ष कोतवाली बबेरू बांदा को आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत हारट्रेक्टर पंजीयन सं0–यू0पी0 71ए.एम./3992 मय ट्रालीप्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में यदि एम0 वी0 एक्ट के अतिरिक्त किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो अवमुक्त कर दिया जाय।

प्रथम ए0सी0जे0एम0, बांदा

15.12.2021

न्यायालय– प्रथम ए0 सी0 जे0 एम0 बांदा

प्रकीर्ण वाद सख्या–2393/2021

सरकार बनाम राजकुमार कुमार आदि
धारा–एम0वी0एक्ट
थाना–पैलानी, बांदा

12.10.2021

प्रार्थिया राकेश कुमार की ओर से धारा–एम.वी.एक्ट के तहत थाना पैलानी जिला बांदा में निरूद्ध हारजे0सी0बी0 मशीन पंजीयन सं0–यू0पी0 91टी/6505 को अपने हक में अवमुक्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि वह प्रश्नगत हारजे0सी0बी0 का पंजीकृत स्वामी है और उसके हारके सभी कागजात वैध हैं। उसके हारको पुलिस ने गैर कानूनी ढंग से सीज कर दिया है। निरूद्ध रहने से उसके खराब होने की आशंका है। याचना की है कि प्रश्नगत हारजे0सी0बी0 उसके हक में अवमुक्त कर दिया जाय।

सुना एवं संबंधित उपलब्ध प्रपत्रों व थाने की आख्या का अवलोकन किया। चूंकि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल करके जुर्माना अदा कर दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त मामले का निस्तारण हो चुका है।प्रार्थी की ओर से प्रश्नगत हारउपरोक्त के सन्दर्भ पंजीयन एवं बीमा प्रमाणपत्र की छाया प्रतियां मय असल के दाखिल की गयी हैं, जो वैध हैं, जिसके अनुसारप्रार्थी प्रश्नगत हारउपरोक्त का पंजीकृत

स्वामी है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत वाहनप्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में सशर्त अवमुक्त किए जाने हेतु पर्याप्त आधार है।

आदेश

आवेदनप्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अतः संबंधित थानाध्यक्ष पैलानी को आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत हारजे0सी0बी0 मशीन पंजीयन सं0–यू0पी0 91टी/6505प्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में यदि एम0 वी0 एक्ट के अतिरिक्त किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो अवमुक्त कर दिया जाय।

प्रथम ए0सी0जे0एम0, बांदा

12.10.2021

न्यायालय– प्रथम ए0 सी0 जे0 एम0 बांदा

प्रकीर्ण वाद सख्या–2563/2021

सरकार बनाम सतीश मसुराहा
धारा–एम0वी0एक्ट
थाना–गिरवां

28.10.2021

प्रार्थिया सतीश मसुराहा की ओर से धारा–एम.वी.एक्ट के तहत थाना गिरवां जिला बांदा में निरूद्ध हारट्रक पंजीयन सं0–यू0पी0 90टी/1550 को अपने हक में अवमुक्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि वह प्रश्नगत हारट्रक का पंजीकृत स्वामी है और उसके हारके सभी कागजात वैध हैं। उसके हारको पुलिस ने गैर कानूनी ढंग से सीज कर दिया है। निरूद्ध रहने से उसके खराब होने की आशंका है। याचना की है कि प्रश्नगत हारट्रक उसके हक में अवमुक्त कर दिया जाय।

सुना एवं संबंधित उपलब्ध प्रपत्रों व थाने की आख्या का अवलोकन किया। चूंकि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल करके जुर्माना अदा कर दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त मामले का निस्तारण हो चुका है।प्रार्थी की ओर से प्रश्नगत हारउपरोक्त के सन्दर्भ पंजीयन,परमिट,फिटनेस,प्रदूषण एवं बीमा प्रमाणपत्र की छाया प्रतियां मय असल के दाखिल की गयी हैं, जो वैध हैं, जिसके अनुसारप्रार्थी प्रश्नगत

हारउपरोक्त का पंजीकृत स्वामी है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत वाहनप्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में सशर्त अवमुक्त किए जाने हेतु पर्याप्त आधार है।

आदेश

आवेदनप्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अतः संबंधित थानाध्यक्ष गिरवां को आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत हारट्रक पंजीयन सं0–यू0पी0 90टी/1550प्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में यदि एम0 वी0 एक्ट के अतिरिक्त किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो अवमुक्त कर दिया जाय।

प्रथम ए0सी0जे0एम0, बांदा

28.10.2021

न्यायालय– प्रथम ए0 सी0 जे0 एम0 बांदा

प्रकीर्ण वाद सख्या–2581/2021

सरकार बनाम संतोष कुमार शर्मा
धारा–एम0वी0एक्ट
थाना–बिसण्डा

28.10.2021

प्रार्थिया संतोष कुमार शर्मा ओर से धारा–एम.वी.एक्ट के तहत थाना बिसण्डा जिला बांदा में निरूद्ध हारट्रक पंजीयन सं0–एम0पी0 07एच.बी./7022 को अपने हक में अवमुक्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि वह प्रश्नगत हारट्रक का पंजीकृत स्वामी है और उसके हारके सभी कागजात वैध हैं। उसके हारको पुलिस ने गैर कानूनी ढंग से सीज कर दिया है। निरूद्ध रहने से उसके खराब होने की आशंका है। याचना की है कि प्रश्नगत हारट्रक उसके हक में अवमुक्त कर दिया जाय।

सुना एवं संबंधित उपलब्ध प्रपत्रों व थाने की आख्या का अवलोकन किया। चूंकि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल करके जुर्माना अदा कर दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त मामले का निस्तारण हो चुका है।प्रार्थी की ओर से प्रश्नगत हारउपरोक्त के सन्दर्भ पंजीयन, परमिट, फिटनेस, डी0एल0 एवं बीमा प्रमाणपत्र की छाया प्रतियां मय असल के दाखिल की गयी हैं, जो वैध हैं, जिसके अनुसारप्रार्थी

प्रश्नगत हारउपरोक्त का पंजीकृत स्वामी है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत वाहनप्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में सशर्त अवमुक्त किए जाने हेतु पर्याप्त आधार है।

आदेश

आवेदनप्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अतः संबंधित थानाध्यक्ष बिसण्डा को आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत हारट्रक पंजीयन सं0–एम0पी0 07एच.बी. /7022 प्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में यदि एम0 वी0 एक्ट के अतिरिक्त किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो अवमुक्त कर दिया जाय।

प्रथम ए0सी0जे0एम0, बांदा
28.10.2021

न्यायालय–प्रथम ए0 सी0 जे0 एम0 बांदा

वाद सख्या– 2593/2021

सरकार बनाम योगेन्द्र कुमार
धारा–एम0 वी0 एक्ट
थाना–गिरवां, बांदा

28.10.2021

प्रार्थिया योगेन्द्र कुमार की ओर से धारा–एम0 वी0 एक्ट के तहत थाना–गिरवां जिला बांदा में निरूद्ध हारट्रक पंजीयन सं0–यू0पी0 33ए.टी/8195 को अपने हक में अवमुक्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि वह प्रश्नगत हारट्रक का पंजीकृत स्वामी है और उसके हारके सभी कागजात वैध हैं। उसके हारको पुलिस ने गैर कानूनी ढंग से सीज कर दिया है। निरूद्ध रहने से उसके खराब होने की आशंका है। याचना की है कि प्रश्नगत हारट्रक उसके हक में अवमुक्त कर दिया जाय।

सुना एवं संबंधित उपलब्ध प्रपत्रों व थाने की आख्या का अवलोकन किया। चूंकि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल करके जुर्माना अदा कर दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त मामले का निस्तारण हो चुका है।प्रार्थी की ओर से प्रश्नगत हारउपरोक्त के सन्दर्भ पंजीयन,टैक्स रसीद एवं बीमा प्रमाणपत्रों की छाया प्रतियॉ मय असल के दाखिल की गयी हैं, जो वैध हैं, जिसके अनुसारप्रार्थी प्रश्नगत हारउपरोक्त का

पंजीकृत स्वामी है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत वाहनप्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में सशर्त अवमुक्त किए जाने हेतु पर्याप्त आधार है।

आदेश

आवेदनप्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अतः संबंधित थानाध्यक्ष गिरवां को आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत हारट्रक पंजीयन सं0–यू0पी0 33ए. टी/8195प्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में यदि एम0 वी0 एक्ट के अतिरिक्त किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो अवमुक्त कर दिया जाय।

प्रथम ए0सी0जे0एम0, बांदा

28.10.2021

न्यायालय–प्रथम ए0 सी0 जे0 एम0 बांदा

वाद सख्या–2512/2021

सरकार बनाम परमेश्वरीदीन

धारा–एम0 वी0 एक्ट

थाना–गिरवां, बांदा

16.11.2021

प्रार्थिया परमेश्वरीदीन की ओर से धारा–एम0 वी0 एक्ट के तहत थाना–गिरवां जिला बांदा में निरूद्ध हारट्रेक्टर पंजीयन स0–यू0पी0 90डी./8721 मय ट्राली को अपने हक में अवमुक्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि वह प्रश्नगत हारट्रेक्टर का पंजीकृत स्वामी है और उसके हारके सभी कागजात वैध हैं। उसके हारको पुलिस ने गैर कानूनी ढंग से सीज कर दिया है। निरूद्ध रहने से उसके खराब होने की आशंका है। याचना की है कि प्रश्नगत हारट्रेक्टर उसके हक में अवमुक्त कर दिया जाय।

सुना एवं संबंधित उपलब्ध प्रपत्रों व थाने की आख्या का अवलोकन किया। चूंकि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल करके जुर्माना अदा कर दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त मामले का निस्तारण हो चुका है।प्रार्थी की ओर से प्रश्नगत हारउपरोक्त के सन्दर्भ पंजीयन प्रमाणपत्र की छाया प्रति मय असल के दाखिल की गयी हैं, जो वैध हैं, जिसके अनुसारप्रार्थी प्रश्नगत हारउपरोक्त का पंजीकृत स्वामी है। ऐसी

स्थिति में प्रश्नगत वाहनप्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में सशर्त अवमुक्त किए जाने हेतु पर्याप्त आधार है।

आदेश

आवेदनप्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अतः संबंधित थानाध्यक्ष गिरवां को आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत हारट्रेक्टर पंजीयन स0-यू0पी0 90डी./8721 मय ट्राली कोप्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में यदि एम0 वी0 एक्ट के अतिरिक्त किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो अवमुक्त कर दिया जाय।

प्रथम ए0सी0जे0एम0, बांदा

16.11.2021

न्यायालय- प्रथम ए0 सी0 जे0 एम0 बांदा

प्रकीर्ण वाद सख्या-2778/2021

सरकार बनाम शत्रुघ्न
धारा-194(1),177,130 यू0पी0एम0वी0एक्ट
थाना-गिरवां, बांदा

16.11.2021

प्रार्थिया शत्रुघ्न की ओर से धारा-194(1),177,130 यू0पी0एम.वी.एक्ट के तहत थाना गिरवां जिला बांदा में निरूद्ध हारट्रेक्टर पंजीयन स0-यू0पी0 90आर./3278 मय ट्राली को अपने हक में अवमुक्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि वह प्रश्नगत हारट्रक का पंजीकृत स्वामी है और उसके हारके सभी कागजात वैध हैं। उसके हारको पुलिस ने गैर कानूनी ढंग से सीज कर दिया है। निरूद्ध रहने से उसके खराब होने की आशंका है। याचना की है कि प्रश्नगत हारट्रक उसके हक में अवमुक्त कर दिया जाय।

सुना एवं संबंधित उपलब्ध प्रपत्रों व थाने की आख्या का अवलोकन किया। चूंकि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल करके जुर्माना अदा कर दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त मामले का निस्तारण हो चुका है।प्रार्थी की ओर से प्रश्नगत हारउपरोक्त के सन्दर्भ पंजीयन प्रमाणपत्र की छाया प्रति मय असल के दाखिल की गयी हैं, जो वैध हैं, जिसके अनुसारप्रार्थी प्रश्नगत हारउपरोक्त का पंजीकृत स्वामी है। ऐसी

स्थिति में प्रश्नगत वाहनप्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में सशर्त अवमुक्त किए जाने हेतु पर्याप्त आधार है।

आदेश

आवेदनप्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अतः संबंधित थानाध्यक्ष गिरवां को आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत हारट्रेक्टर पंजीयन स0-यू0पी0 90आर./3278 मय ट्रालीप्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में यदि एम0 वी0 एक्ट के अतिरिक्त किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो अवमुक्त कर दिया जाय।

प्रथम ए0सी0जे0एम0, बांदा

16.11.2021

न्यायालय-सी0जे0एम0 बांदा

मुकदमा नंबर- /19

सरकार बनाम शिवम सिंह

थाना-नरैनी

02.02.2022

आदेश

आवेदक शिवम सिंह की ओर से लावारिस हालत में थाना नरैनी जिला बांदा में निरूद्ध हारट्रेक्टर पंजीयन स0-एम0पी0 16ए.सी./7394 व इंजन नं0-3100FL73H662327F3 एवं चेचिस सं0-JZJST668889S3 मय ट्राली को अपने हक में अवमुक्त किए जाने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि वह प्रश्नगत हारका पंजीकृत स्वामी है और उसके हारके सभी कागजात वैध हैं। उसके हारको थाना नरैनी की पुलिस ने गैर कानूनी ढंग से सीज कर दिया है। निरूद्ध रहने से उसके खराब होने की आशंका है। याचना की है कि प्रश्नगत ट्रेक्टर उपरोक्त उसके हक में अवमुक्त कर दिया जाय।

प्रार्थनापत्र पर पुलिस थाना नरैनी से यह रिपोर्ट प्राप्त हुयी है कि थाना स्थानीय पर हारट्रेक्टर पंजीयन सं0-एम0पी0 16ए.सी./7394 व इंजन नं0-3100FL73H662327F3 एवं चेचिस सं0-JZJST668889S3 मय ट्राली को उपनिरीक्षक कौशल सिंह द्वारा दिनांक 26.01.2022 को लावारिस हालत में दाखिल किया गया था जो थाना परिसर में सुरक्षित खडा हैं।

प्रार्थनापत्र पर सुना एवं संबंधित उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

आवेदक की ओर से उक्त हारके स्वामित्व के संबंध में पंजीयन प्रमाणपत्र दाखिल गया गया हैं जो वैध है, जिसके अनुसारप्रार्थी शिवम सिंह का नाम पंजीकृत स्वामी के रूप में दर्ज है।

आवेदक प्रश्नगत हारका पंजीकृत स्वामी है और हारथाना मटौंध में लावारिस हालत में दाखिल है। **मान्नीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था डी0एस0पाण्डेय बनाम राजेन्द्र प्रसाद सिंह और अन्य क्रिमिनल मिसलेनियस अपलीकेशन नंबर-9598/1986** में मान्नीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि कोई लावारिस प्रापर्टी किसी अपराध संख्या से संबंधित नहीं है तब भी फौजदारी न्यायालय को उसके स्वामी के पक्ष में रिलीज किए जाने का क्षेत्राधिकार है।

अतः उपलब्ध तथ्यों को देखते हुए आवेदक का प्रार्थनापत्र निम्न शर्तो के साथ स्वीकार किए जाने योग्य है।

1. आवेदक द्वारा मुबलिग **पॉच लाख रूपये** का व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल किया जाए।

2. आवेदक द्वारा इस आशय की अण्डर टेकिंग प्रस्तुत की जाए कि वह प्रश्नगत हारको न्यायालय द्वारा तलब किए जाने पर स्वयं के व्यय पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

3. संबंधित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत हारयदि किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो उसे उसकेप्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के पक्ष में नियमानुसार र्निमुक्त कर दिया जाए। आदेश की प्रति संबंधित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्य क्ष को अनुपालनार्थ प्रेषित की जाए।

प्रभारी सी. जे. एम. बांदा

न्यायालय– सिविल जज जूनियर डिवीजन/न्यायिक मजि0, बांदा

वाद सख्या–723/2021

सरकार बनाम पंकज यादव
धारा–207 एम0 वी0 एक्ट
थाना–कोतवाली देहात, बांदा

11.09.2021

प्रार्थिया पंकज यादव की ओर से धारा–207 एम0 वी0 एक्ट के तहत थाना कोतवाली देहात जिला बांदा में निरूद्ध हारमोटर साइकिल पंजीयन सं0–यू0पी0 90क्यू0/0623 को अपने हक में अवमुक्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि वह प्रश्नगत मोटर साइकिल का पंजीकृत स्वामी है और उसके हारके सभी कागजात वैध हैं। उसके हारको पुलिस ने गैर कानूनी ढंग से सीज कर दिया है। निरूद्ध रहने से उसके खराब होने की आशंका है। याचना की है कि प्रश्नगत हारमोटर साइकिल उसके हक में अवमुक्त कर दिया जाय।

सुना एवं संबंधित उपलब्ध प्रपत्रों व थाने की आख्या का अवलोकन किया। चूंकि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल करके जुर्माना अदा कर दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त मामले का निस्तारण हो चुका है।प्रार्थी की ओर से प्रश्नगत हारउपरोक्त के सन्दर्भ पंजीयन एवं बीमा प्रमाणपत्र की छाया प्रति मय असल के दाखिल की गयी हैं, जो वैध हैं, जिसके अनुसारप्रार्थी प्रश्नगत मोटर साइकिल उपरोक्त का पंजीकृत स्वामी है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत वाहनप्रार्थी/पंजीकृत के हक में सशर्त अवमुक्त किए जाने हेतु पर्याप्त आधार है।

आदेश

आवेदनप्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अतः संबंधित थानाध्यक्ष कोतवाली देहात बांदा को आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत मोटर साइकिल पंजीयन

सं0–यू0पी0 90क्यू0 / 0623प्रार्थी / पंजीकृत स्वामी के हक में यदि एम0 वी0 एक्ट के अतिरिक्त किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो अवमुक्त कर दिया जाय।

सिविल जज जूनियर डिवीजन / न्यायिक मजि0,

बांदा

11.09.2021

न्यायालय–प्रथम ए0 सी0 जे0 एम0 बांदा

वाद सख्या– / 2021

सरकार बनाम रामकुमार
धारा–एम0 वी0 एक्ट
थाना–गिरवां, बांदा

01.10.2021

प्रार्थिया रामकुमार की ओर से धारा–एम0 वी0 एक्ट के तहत थाना–गिरवां जिला बांदा में निरूद्ध हारट्रेक्टर पंजीयन सं0–यू0पी0 90एस / 2357 मय ट्राली को अपने हक में अवमुक्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि वह प्रश्नगत हारट्रेक्टर का पंजीकृत स्वामी है और उसके हारके सभी कागजात वैध हैं। उसके हारको पुलिस ने गैर कानूनी ढंग से सीज कर दिया है। निरूद्ध रहने से उसके खराब होने की आशंका है। याचना की है कि प्रश्नगत हारट्रेक्टर उसके हक में अवमुक्त कर दिया जाय।

सुना एवं संबंधित उपलब्ध प्रपत्रों व थाने की आख्या का अवलोकन किया। चूंकि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल करके जुर्माना अदा कर दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त मामले का निस्तारण हो चुका है।प्रार्थी की ओर से प्रश्नगत हारट्रेक्टर उपरोक्त के सन्दर्भ पंजीयन प्रमाणपत्र की छाया प्रति मय असल के दाखिल की गयी हैं, जो वैध हैं, जिसके अनुसारप्रार्थी प्रश्नगत हारउपरोक्त का पंजीकृत स्वामी है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत वाहनप्रार्थी / पंजीकृत स्वामी के हक में सशर्त अवमुक्त किए जाने हेतु पर्याप्त आधार है।

आदेश

आवेदनप्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अतः संबंधित थानाध्यक्ष गिरवां को आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत हारट्रेक्टर पंजीयन सं0–यू0पी0 90एस / 2357

मय ट्रालीप्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में यदि एम0 वी0 एक्ट के अतिरिक्त किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो अवमुक्त कर दिया जाय।

प्रथम ए0सी0जे0एम0, बांदा

01.10.2021

न्यायालय–प्रथम ए0 सी0 जे0 एम0 बांदा

वाद सख्या–　　/2021

सरकार　　　बनाम　　तारकेश्वर तिवारी
धारा–एम0 वी0 एक्ट
थाना–मटौंध, बांदा

12.10.2021

प्रार्थिया तारकेश्वर की ओर से धारा–एम0 वी0 एक्ट के तहत थाना–मटौंध जिला बांदा में निरूद्ध हारट्रक पंजीयन सं0–यू0पी0 42बीटी/0714 को अपने हक में अवमुक्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि वह प्रश्नगत हारट्रक का पंजीकृत स्वामी है और उसके हारके सभी कागजात वैध हैं। उसके हारको पुलिस ने गैर कानूनी ढंग से सीज कर दिया है। निरूद्ध रहने से उसके खराब होने की आशंका है। याचना की है कि प्रश्नगत हारट्रक उसके हक में अवमुक्त कर दिया जाय।

सुना एवं संबंधित उपलब्ध प्रपत्रों व थाने की आख्या का अवलोकन किया। चूंकि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल करके जुर्माना अदा कर दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त मामले का निस्तारण हो चुका है।प्रार्थी की ओर से प्रश्नगत हारउपरोक्त के सन्दर्भ पंजीयन प्रमाणपत्र की छाया प्रति मय असल के दाखिल की गयी हैं, जो वैध हैं, जिसके अनुसारप्रार्थी प्रश्नगत हारउपरोक्त का पंजीकृत स्वामी है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत वाहनप्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में सशर्त अवमुक्त किए जाने हेतु पर्याप्त आधार है।

आदेश

आवेदनप्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अतः संबंधित थानाध्यक्ष मटौंध को आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत हारट्रक पंजीयन सं0–यू0पी0

42बीटी/0714प्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में यदि एम0 वी0 एक्ट के अतिरिक्त किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो अवमुक्त कर दिया जाय।

प्रथम ए0सी0जे0एम0, बांदा

12.10.2021

न्यायालय–प्रथम ए0 सी0 जे0 एम0 बांदा

वाद सख्या–2404/2021

सरकार बनाम पतरू यादव

धारा–एम0 वी0 एक्ट

थाना–अतर्रा, बांदा

11.10.2021

प्रार्थिया पतरू यादव की ओर से धारा–एम0 वी0 एक्ट के तहत थाना–अतर्रा जिला बांदा में निरूद्ध हारट्रक पंजीयन सं0–यू0पी0 50बी.टी/3281 को अपने हक में अवमुक्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि वह प्रश्नगत हारट्रक का पंजीकृत स्वामी है और उसके हारके सभी कागजात वैध हैं। उसके हारको पुलिस ने गैर कानूनी ढंग से सीज कर दिया है। निरूद्ध रहने से उसके खराब होने की आशंका है। याचना की है कि प्रश्नगत हारट्रक उसके हक में अवमुक्त कर दिया जाय।

सुना एवं संबंधित उपलब्ध प्रपत्रों व थाने की आख्या का अवलोकन किया। चूंकि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल करके जुर्माना अदा कर दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त मामले का निस्तारण हो चुका है।प्रार्थी की ओर से प्रश्नगत हारउपरोक्त के सन्दर्भ पंजीयन, परमिट, टैक्स रसीद एवं बीमा प्रमाणपत्र की छाया प्रति मय असल के दाखिल की गयी हैं, जो वैध हैं, जिसके अनुसारप्रार्थी प्रश्नगत हारउपरोक्त का पंजीकृत स्वामी है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत वाहनप्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में सशर्त अवमुक्त किए जाने हेतु पर्याप्त आधार है।

आदेश

आवेदनप्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अतः संबंधित थानाध्यक्ष अतर्रा को आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत हारट्रक पंजीयन सं0–यू0पी0 50बी.

टी/3281प्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में यदि एम0 वी0 एक्ट के अतिरिक्त किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो अवमुक्त कर दिया जाय।

प्रथम ए0सी0जे0एम0, बांदा
11.10.2021

न्यायालय–प्रथम ए0सी0जे0एम0 बांदा
मुकदमा नंबर– /2021
सरकार बनाम अज्ञात
थाना–गिरवां

24.09.2021

आवेदक मूलचन्द्र पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम प्रीतमपुर थाना गिरवां जिला बांदा की ओर से लावारिस हालत में थाना गिरवां जिला बांदा में निरूद्ध हारट्रेक्टर चेचिस स0–MBNBH48AALCD19933 व इंजन नं0–42–1001एसबीडी 05160 मय ट्राली को अपने हक में अवमुक्त किए जाने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि वह प्रश्नगत हारका पंजीकृत स्वामी है और उसके हारके सभी कागजात वैध हैं। उसके हारको थाना गिरवां की पुलिस ने लावारिस हालत में गैर कानूनी ढंग से सीज कर दिया है। निरूद्ध रहने से उसके खराब होने की आशंका है। याचना की है कि प्रश्नगत ट्रेक्टर उपरोक्त उसके हक में अवमुक्त कर दिया जाय।

प्रार्थनापत्र पर पुलिस थाना गिरवां से यह रिपोर्ट प्राप्त हुयी है कि थाना स्थानीय पर दिनांक 30.08.2021 को प्रभारी चौकी इन्चार्ज खुरहण्ड श्री वीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी द्वारा एक अद्द ट्रेक्टर चेचिस स0–MBNBH48AALCD19933 व इंजन नं0–42–1001एसबीडी 05160 मय ट्राली जिसमें बालू लदी हुयी थी, को लावारिश हालत में थाना हाजा पर दाखिल किया गया है। ट्रेक्टर मय ट्राली थाना हाजा पर खडी है। उपजिलाधिकारी नरैनी के यहॉ प्रार्थनापत्र दिया था।

प्रार्थनापत्र पर सुना एवं संबंधित उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया गया। थाने की आख्या के अनुसार ट्रेक्टर की ट्राली में बालू लदी होने का उल्लेख किया गया है परन्तु उसकी सूचना संबंधित विभाग को नहीं भेजी गयी है साथ

हीं आवेदक द्वारा कोई रवन्ना दाखिल नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में आवेदक का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

<u>आदेश</u>

आवेदक का प्रार्थनापत्र तद्नुसार निरस्त किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

प्रथम ए. सी. जे. एम. बांदा

न्यायालय–प्रथम ए0सी0जे0एम0 बांदा

मुकदमा नंबर– /2021

सरकार बनाम अज्ञात

थाना–गिरवां

<u>24.09.2021</u>

आवेदक अरविन्द कुमार पुत्र मिजाजी लाल निवासी ग्राम कोलावल रायपुर थाना गिरवां जिला बांदा की ओर से लावारिस हालत में थाना गिरवां जिला बांदा में निरूद्ध हारट्रेक्टर चेचिस स0–928714172285 व इंजन नं0–एफ–08070 मय ट्राली को अपने हक में अवमुक्त किए जाने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि वह प्रश्नगत हारका पंजीकृत स्वामी है और उसके हारके सभी कागजात वैध हैं। उसके हारको थाना गिरवां की पुलिस ने लावारिस हालत में गैर कानूनी ढंग से सीज कर दिया है। निरूद्ध रहने से उसके खराब होने की आशंका है। याचना की है कि प्रश्नगत ट्रेक्टर उपरोक्त उसके हक में अवमुक्त कर दिया जाय।

प्रार्थनापत्र पर पुलिस थाना गिरवां से यह रिपोर्ट प्राप्त हुयी है कि थाना स्थानीय पर हारट्रेक्टर बिना नंबर चेचिस स0–928714172285 मय ट्राली बालू सहित दिनांक 30.08.2021 को एस.आई. वीरेन्द्र त्रिपाठी द्वारा लावारिस में दाखिल किया गया है । आवेदक ने एस.डी.एम. नरैनी के न्यायालय में प्रार्थनापत्र दिया था। हारके संबंध में कोई रिपोर्ट प्रेषित नहीं है न ही कोई अभियोग पंजीकृत हैं।

प्रार्थनापत्र पर सुना एवं संबंधित उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया गया। थाने की आख्या के अनुसार ट्रेक्टर की ट्राली में बालू लदी होने का उल्लेख किया गया है परन्तु उसकी सूचना संबंधित विभाग को नहीं भेजी गयी है साथ

हीं आवेदक द्वारा कोई रवन्ना दाखिल नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में आवेदक का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

आवेदक का प्रार्थनापत्र तद्नुसार निरस्त किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

प्रथम ए. सी. जे. एम. बांदा

न्यायालय–प्रथम ए0 सी0 जे0 एम0 बांदा

वाद सख्या–2386/2021

सरकार बनाम सुमन देवी

धारा–एम0 वी0 एक्ट

थाना–मटौंध, बांदा

11.10.2021

प्रार्थिया सुमन देवी की ओर से धारा–एम0 वी0 एक्ट के तहत थाना–मटौंध जिला बांदा में निरूद्ध हारट्रक पंजीयन सं0–यू0पी0 71टी/8900 को अपने हक में अवमुक्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि वह प्रश्नगत हारट्रक की पंजीकृत स्वामिनी है और उसके हारके सभी कागजात वैध हैं। उसके हारको पुलिस ने गैर कानूनी ढंग से सीज कर दिया है। निरूद्ध रहने से उसके खराब होने की आशंका है। याचना की है कि प्रश्नगत हारट्रक उसके हक में अवमुक्त कर दिया जाय।

सुना एवं संबंधित उपलब्ध प्रपत्रों व थाने की आख्या का अवलोकन किया। चूंकि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल करके जुर्माना अदा कर दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त मामले का निस्तारण हो चुका है।प्रार्थी की ओर से प्रश्नगत हारउपरोक्त के सन्दर्भ पंजीयन प्रमाणपत्र की छाया प्रति मय असल के दाखिल की गयी हैं, जो वैध हैं, जिसके अनुसारप्रार्थी प्रश्नगत हारउपरोक्त का पंजीकृत स्वामिनी है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत वाहनप्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के हक में सशर्त अवमुक्त किए जाने हेतु पर्याप्त आधार है।

आदेश

आवेदनप्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अतः संबंधित थानाध्यक्ष मटौंध को आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत हारट्रक पंजीयन सं0–यू0पी0

71टी/8900प्रार्थी/पंजीकृत स्वामिनी के हक में यदि एम0 वी0 एक्ट के अतिरिक्त किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो अवमुक्त कर दिया जाय।

प्रथम ए0सी0जे0एम0, बांदा

11.10.2021

न्यायालय– प्रथम ए0 सी0 जे0 एम0 बांदा

प्रकीर्ण वाद सख्या–2584/2021

सरकार बनाम धर्म सिंह

धारा–4/21 खनिज अधिनियम

थाना–मटौंध, जिला बांदा

18.12.2021

प्रार्थिया धर्म सिंह की ओर से धारा–4/21 खनिज अधिनियम के तहत थाना मटौंध जिला बांदा में निरूद्ध गिट्टी को अपने हक में अवमुक्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि न्यायालय के आदेश दिनांकित 02.11.2021 के अनुसार प्रश्नगत ट्रैक्टर पंजीकृत स्वामी के पक्ष में रिलीज किया जा चुका है।प्रार्थी ने बिक्रीकर अधिकारी को देयकर एवं अर्थदण्ड अदा कर दिया है तथा बिक्रीकर अधिकारी ने माल व हारको रिलीज करने का आदेश दिनांक 10.11.2021 को पारित किया था परन्तु थाना मटौंध की पुलिस ने उसकी गिट्टी उतरवा लिया है मात्र हाररिलीज किया है। याचना की है कि गिट्टी उसके हक में रिलीज किए जाने हेतु आदेश पारित किया जाए।

सुना एवं संबंधित उपलब्ध प्रपत्रों व थाने की आख्या का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है किप्रार्थी द्वारा गिट्टी के संबंध में कोई भी ऐसा प्रपत्र/दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया है जिससे कि यह साबित हो सके कि आवेदक प्रश्नगत माल का क्रेता/स्वामी है। थाने की आख्या के अनुसार न्यायालय के आदेशानुसार प्रश्नगत ट्रैक्टर बिना खनिज अवमुक्त किया गया है। चूंकि गि्टटी माल मुकदमाती है और प्रकरण अभी विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में प्रार्थनापत्र संधारणीय नहीं है एवं निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थिया धर्म सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र बावत अवमुक्त करने गिट्टी तद्नुसार निरस्त किया जाता है।

प्रथम ए0सी0जे0एम0, बांदा

18.12.2021

न्यायालय–प्रथम ए0सी0जे0एम0 बांदा

मुकदमा नंबर– /2022

सरकार बनाम राघवेन्द्र तिवारी

थाना–गिरवां

03.03.2022

आवेदक राघवेद्र तिवारी पुत्र प्रहलाद तिवारी निवासी गिरवां थाना गिरवां जिला बांदा की ओर से थाना गिरवां जिला बांदा में निरूद्ध हारट्रक पंजीयन स0–यू0पी092टी/9496 को अपने हक में अवमुक्त किए जाने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि वह प्रश्नगत हारका पंजीकृत स्वामी है और उसके हारके सभी कागजात वैध हैं। उसके हारको थाना गिरवां की पुलिस ने गैर कानूनी ढंग से सीज कर दिया है। निरूद्ध रहने से उसके खराब होने की आशंका है। याचना की है कि प्रश्नगत ट्रक उपरोक्त उसके हक में अवमुक्त कर दिया जाय।

प्रार्थनापत्र पर पुलिस थाना गिरवां से यह रिपोर्ट प्राप्त हुयी है कि ट्रक स0–यू0पी092टी/9496 को ओवर लोड बालू में खनिज अधि0/आर0टी0ओ0/वाणिज्यकर की संयुक्त टीम द्वारा सीज की गयी है जो पुलिस की सुरक्षा में थाना गिरवां में खडी है।

अभियोजन की आख्या के अनुसार थाने से रिपोर्ट प्राप्त हुयी कि ट्रक स0–यू0पी092टी/9496 को ओवर लोड बालू में खनिज अधि0/आर0टी0ओ0/वाणिज्यकर की संयुक्त टीम द्वारा सीज की गयी है जो पुलिस की सुरक्षा में थाना गिरवां में खडी है परन्तु खनिज विभाग बांदा से कोई परिवाद प्रेषित नहीं किया गया है।

खान अधिकारी बांदा से यह रिपोर्ट प्राप्त हुयी है कि प्रश्नगत हारका ऑनलाइन m-CHECK Mobile app के माध्यम से ई–चालान किया गया है, जब तक उक्त प्रकरण में ई–चालान के माध्यम से आरोपित धनराशि जमा होकर निस्तारण नहीं हो जाता, तब तक उपखनिजों के परिवहन हेतु प्रश्नगत हारके लिए ई0एम0एम0–11 जनरेट नहीं होता है।

कार्यालय लिपिक की आख्या के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में परिवाद खनिज विभाग बांदा द्वारा प्रेषित नहीं किया गया है।

प्रार्थनापत्र पर सुना एवं संबंधित उपलब्ध समस्त प्रपत्रों व आख्याओं का अवलोकन किया गया। थाने की आख्या के अनुसार ट्रक को ओवर लोड बालू परिवहन करते संयुक्त टीम द्वारा सीज किए जाने का उल्लेख किया गया है परन्तु उपरोक्त ट्रक किस अपराध संख्या व किन धाराओं में निरूद्ध किया गया है, इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। खनिज अनुभाग बांदा की आख्या के अनुसार प्रश्नगत हारका ऑनलाइन m-CHECK Mobile app के माध्यम से ई–चालान किया गया है, परन्तु खनिज अनुभाग बांदा से उक्त हारके संबंध में कोई परिवाद दाखिल नहीं किया गया है साथ हीं आवेदक द्वारा कोई रवन्ना दाखिल नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में आवेदक का हारअवमुक्ति प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

आवेदक का हारअवमुक्ति प्रार्थनापत्र तद्नुसार निरस्त किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

प्रथम ए0सी0जे0एम0,
बांदा
03.03.2022

न्यायालय–प्रथम ए0सी0जे0एम0 बांदा

28.05.2022

प्रार्थी राकेश कुमार गुप्ता द्वारा प्रार्थनापत्र इस आशय का दिया गया है कि अभियुक्त राकेश कुमार गुप्ता पुत्र हरीश नारायन गुप्ता को सजा भुगतने हेतु दिनांक 04.05.2022 को जेल भेजा गया है परन्तु सजायाबी वारण्ट में पिता का नाम गलत होने के कारण हरीनारायन के स्थान पर हरीश नारायन गुप्ता वारण्ट में सुधार कर मण्डल कारागार बांदा भेजा जाए।

वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार बांदा द्वारा भी मूल सजायावी वारण्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसके संबंध में पत्रावली आहूत की गयी है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि पत्रावली में संलग्न निर्णयादेश में अभियुक्त राकेश कुमार गुप्ता पुत्र हरीश नारायन गुप्ता निवासी महेश्वरी देवी चौक बाजार थाना कोतवाली नगर बांदा जिला बांदा अंकित है परन्तु लिपिकीय त्रुटिवश मूल सजायावी वारण्ट में राकेश कुमार गुप्ता पुत्र हरीनारायन लिख गया है। ऐसी स्थिति में मूल सजायावी वारण्ट में अभियुक्त राकेश कुमार गुप्ता पुत्र हरीश नारायन गुप्ता पढे जाने हेतु संशोधित किया जाता है।

प्रथम ए0 सी0 जे0 एम0 बांदा

न्यायालय– प्रथम ए0 सी0 जे0 एम0 बांदा

प्रकीर्ण वाद सख्या–2168/2022

सरकार बनाम सुनील कुमार

धारा–एम0वी0एक्ट

थाना–कोतवाली नगर बांदा

01.11.2022

प्रार्थिया सुनील कुमार की ओर से धारा–एम.वी.एक्ट के तहत थाना कोतवाली नगर बांदा में निरूद्ध हारपंजीयन सं0–यू0पी0 92टी./4451 को अपने हक में अवमुक्त किए जाने हेतु आवेदन दिनांक 01.06.2022 को प्रस्तुत किया गया था, जिस पर संबंधित थाने एवं आर0टी0ओ0 बांदा से रिपोर्ट/चालानी आहूत की गयी थी। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी बांदा द्वारा उपरोक्त हारसे संबंधित मूल चालानी न्यायालय प्रस्तुत की गयी है। चूँकिप्रार्थी सुनील कुमार द्वारा पूर्व में मूल चालानी की द्वितीय प्रति न्यायालय में दाखिल कर उसके द्वारा जुर्म इकबाल कर जुर्माना दो हजार रूपये दिनांक 06.07.2022 को अदा किए जाने पर न्यायालय द्वारा जुर्माने की रसीद संख्या–0118658 जारी की गई है। चूँकिप्रार्थी द्वारा न्यायालय में चालानी की द्वितीय प्रति दाखिल कर जुर्माना जमा

किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में पूर्व में जमा जुर्माना के आधार पर मूल चालानी का निस्तारण किया जाता है।

प्रथम ए0 सी0 जे0 एम0

बांदा

न्यायालय— प्रथम ए0 सी0 जे0 एम0 बांदा

प्रकीर्ण वाद सख्या—1750/2023

सरकार बनाम आदित्य प्रकाश
धारा—एम0वी0एक्ट
थाना—गिरवॉ

श्रीमान्जी,

विनम्र निवेदन है किप्रार्थी उपरोक्त वाद में अभियुक्त/चालक व गरीब व्यक्ति है और अपना जुर्म स्वेच्छया स्वीकार करना चाहता है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त द्वारा स्वेच्छा पूर्वक की गई जुर्म संस्वीकारोक्ति के आधार पर उसे कम से कम अर्थदण्ड से दण्डित करते हुए मुकदमें का निस्तारण किया जाना आवश्यक है।

अतः मान्नीय महोदय से प्रार्थना है कि अभियुक्त को कम से कम अर्थदण्ड से दण्डित करते हुए मुकदमें का निस्तारण करने की कृपा करें। महान दया होगी।

प्रार्थी

आदित्य प्रकाश पुत्र ओमप्रकाश निवासी

22.05.2023 इन्द्रानगर शहर व जिला बांदा।

न्यायालय– प्रथम ए0 सी0 जे0 एम0 बांदा

प्रकीर्ण वाद सख्या– /2023

सरकार बनाम

धारा–एम0वी0एक्ट
थाना–

आदेश

पत्रावली वास्ते निस्तारण लोक अदालत में पेश हुई, कोई उपस्थित नहीं है।

मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन के आधार पर यह विदित होता है कि वर्तमान चालान 31 दिसम्बर 2021 से पूर्व का है। उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन/विचारण का उपशमन) (संशोधन) **अध्यादेश 2023 के अनुसार 31 दिसम्बर, 2021 तक** के मोटर यान अधिनियम से संबंधित चालान उपशमित हो जाएगें।

अतः उपरोक्त विधिक प्राविधान के आलोक में वर्तमान वाद की कार्यवाही उपशमित की जाती है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाए।

प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बॉदा
21.05.2023